कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

कवर स्टोरी : घोटालों का अंतहीन सिलसिला

सीएजी ने उठाया प्रधानमंत्री पर सवाल..... 7

संसद में बहस

असम में दंगा

लोक सभा : लालकृष्ण आडवाणी..... 15
राज्य सभा : अरुण जेटली..... 17

साक्षात्कार

सतपाल सत्ती, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, हिमाचल प्रदेश..... 19

लेख

यह कैसी राष्ट्रीयता ?
–**संजीव कुमार सिन्हा**..... 22
पाकिस्तानी हिन्दुओं का अस्तित्व विनाश की राह पर
–**राम प्रसाद त्रिपाठी**..... 24
अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से महंगाई चरम पर
–**विकाश आनंद**..... 27

अन्य

मुख्यमंत्री सम्मेलन..... 12
म.प्र. : विशाल मोटरसाईकिल ''महारैली'' संपन्न..... 28
भाजपा, गोवंश विकास प्रकोष्ठ का 'राष्ट्रीय प्रवेश प्रशिक्षण वर्ग' सम्पन्न.... 30

ऐतिहासिक चित्र

13 जून 1955 को दिल्ली में 'गोवा मुक्ति आन्दोलन' के दौरान विराट जनसभा को सम्बोधित करते श्री अटल बिहारी वाजपेयी

बोध कथा

यह कैसा धर्म?

महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो एक समय ऐसा आया जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धँस गया। वह शस्त्र रथ में ही रखकर नीचे उतरा और उसे निकालने लगा। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया और उसने कर्ण पर बाणों की बौछार कर दी। इससे कर्ण बौखला गया। वह अर्जुन की निन्दा करने लगा - इस समय मैं नि:शस्त्र हूँ। ऐसे में मेरे ऊपर बाण चलाना अधर्म है। पर श्रीकृष्ण ने उसे मुँहतोड़ उत्तर देते हुए कहा - महाबली कर्ण, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है; पर उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब द्रौपदी की साड़ी को भरी सभा में खींचा जा रहा था। जब अनेक महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को घेरकर मारा था, तब तुम्हें धर्म की याद क्यों नहीं आयी? श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपनी बाणवर्षा और तेज करने को कहा। परिणाम यह हुआ कि कर्ण ने थोड़ी देर में ही प्राण छोड़ दिये। यह इतिहास कथा यह बताती है कि धर्म का व्यवहार केवल धर्म पर चलने वालों के लिए ही होना चाहिए। दुष्टों को उन जैसी दुष्टता से दंड देना बिल्कुल गलत नहीं है।

-'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

व्यंग्य चित्र

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किसी कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

इनका कहना है...

''विकास हमारे आदर्शवाद का हिस्सा है। विकास के बगैर मातृभूमि को परम वैभव तक हम नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमारा NDA एक अर्थ से National Development Alliance भी रहा है और रहेगा।''

- **नितिन गडकरी,** राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

''भारत सरकार को नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अपनी चिंता और प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। साथ ही भारत सरकार अन्तराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान में हो रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ ज्यादतियों के खिलाफ दबाव बनाए।''

- **राजनाथ सिंह,** पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

''कोल ब्लॉक आवंटन के समय कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था, इसलिए वह इस नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। डॉ. मनमोहन सिंह दोषी हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।''

- **अरुण जेटली**, नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा

सम्पादकीय

'वे नेता होते तो इस्तीफा दे देते'

uk करशाह नेता नहीं हो सकता और नेता नौकरशाह नहीं हो सकता। नेता पैदा होते हैं और नौकरशाह बनते हैं। कांग्रेस ने देश में नैसर्गिक नेताओं को समाप्त करने का सिलसिला प्रारंभ कर नौकरशाहों को नेता बनाने का जो सिलसिला शुरू किया, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय संसद घोटालों का बाजार बन चुका है। अगर मनमोहन सिंह नैसर्गिक नेता होते तो देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा, संसद की मर्यादा, संविधान की लाज और लोकतंत्र में आस्था नागरिकों की बनी रहे, इस खातिर वे जरूर इस्तीफा दे देते। पर वे हैं तो मूल में नौकरशाह, जब वे नौकरशाह हैं तो उनसे नैसर्गिक नेताओं के गुण की अपेक्षा करना निरर्थक है। नौकरशाह का चरित्र होता है अपने निकटतम बॉस की बात को गलत-सही सोचे बिना पालन करना। भला इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (नौकरशाह) श्रीमती सोनिया गांधी के सबसे शानदार लोकतांत्रिक ढंग के नौकरशाह नहीं हैं? सोनिया जी जो कहती हैं वे वही करते हैं।

नौकरशाह न सोचता है, न विचारता है, न बहस करता है, वह सिर्फ हां-जी, हां-जी कहता है। डॉ. मनमोहन सिंह जी नौकरशाह चरित्र के सबसे उत्तम प्राणी हैं। अगर वे नेता होते तो बहस करते, विचार करते, गलत नहीं सही, सही नहीं गलत; बोलने का साहस रखते। भला ऐसा कभी हुआ है कि 35 साल आप अपने जीवन के प्रारंभ में नौकरशाह रहें और जीवन के रिटायरमेंट काल में आप नैसर्गिक नेता बनने की ओर बढ़ें। श्रीमती सोनिया गांधी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। अगर होता तो कांग्रेस में उनकी दुकानें नहीं चलती, जिनकी दुकानों पर जनता ने ताले जड़ दिए हैं। भारत के लिए वह दिन ही दुर्भाग्यपूर्ण था जब एक नौकरशाह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कांग्रेस ने लिया।

पिछले आठ वर्षों में देश में जो कुछ घटा है वह उसके पूर्व के छह वर्षों में क्यों नहीं घटा? जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे क्योंकि अटल जी का भारत की माटी, भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के भूगोल से जीवंत सरोकार था। जन-जन की आवाज थी कि अटल जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या यह देश पचास वर्ष से सोच रहा था कि डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होंगे? क्या वे अपने अब तक के जीवनकाल में और प्रधानमंत्री रहते हुए 8 वर्षों में भारत के सभी 35 राज्यों के दौरे कर लिए हैं? क्या वे चुनावी सभाओं के कांग्रेस के लिए हीरो हैं? क्या वे जन-जन की आवाज हैं? क्या वे किसी गरीब-मोहल्ले या उस मोहल्ले के गरीब सिसकियों से ताल्लुक रखते हैं? क्या वे कभी कांग्रेस के किसी आंदोलन के प्रणेता रहे? क्या उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में किसी जन-समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष किया? क्या कांग्रेस में वे सर्वमान्य हैं या मजबूरीवश मान्य हैं? क्या देश यह नहीं कह रहा कि वे सोनिया जी और राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं?

श्री देवगौड़ा एवं स्व. चन्द्रशेखर भले ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे होंगे पर राजनैतिक विश्लेषक और राजनैतिक विचारक से कोई सोते में भी पूछेगा कि डॉ. मनमोहन सिंह की तुलना में श्री देवगौड़ा और स्व. चन्द्रशेखर की स्थिति क्या है तो वे दो टूक शब्दों में कहेंगे कि वे नैसर्गिक नेता थे और ये न नेता हैं और न नौकरशाह रहे। जनतंत्र में राजनीतिक साहस चुनाव लड़ने से प्राप्त होता है। पहली बार भारत में कोई राज्यसभा का नुमाइंदा भारत का प्रधानमंत्री बना। कांग्रेस कितनी खोखली हो गयी है कि वह एक विदेशी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाती है और वहीं एक नौकरशाह

रहे व्यक्ति को प्रधानमंत्री। देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) घोटालों के घुटन से सिसक रही है। संसद में घोटालों के घुटन की सिसकियां गांव-गांव और गली-गली में पहुंच चुकी है। कांग्रेस अपने राजनैतिक जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। और यही कारण था कि वर्तमान में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी घोटाले की घुटन से सिसक रही संसद से बाहर आना चाहते थे। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (नौकरशाह) के हाथों आठ वर्ष तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी (लोकतंत्र) घुटन की जिंदगी जीते रहे लेकिन तत्कालीन बेचारे प्रणब मुखर्जी आखिर क्या करते, वे भारत के नैसर्गिक नेता रहे पर उनमें राष्ट्रवादी तत्व तो हैं, नौकरशाही के तत्व नहीं थे। कांग्रेस में जो भी नेता हैं उनका भविष्य अब बिना मैनेजरी के उज्ज्वल नहीं है। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि भारत के महालेखाकार पर भारत की सरकार ही आरोप लगा रही है कि उसकी रिपोर्ट गलत है। और महालेखाकार को यह कहना पड़ा कि वे अपने रिपोर्ट पर बहस करने को तैयार हैं। सीएजी की यह चुनौती भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मुंह पर न केवल करारा तमाचा है बल्कि कोयले की काली दलाली का बदनुमा धब्बा भी है। यूपीए की पूरी सरकार कोयले की काली दलाली से काला मुंह किए बैठी है।

भारत में विपक्ष में बैठी पार्टियों की ओर जनता आशाभरी निगाहों से देख रही है। देश की सभी विपक्षी पार्टियों को अपने दल के अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि देश के अस्तित्व के लिए पहले यह सोचना होगा कि भारत नहीं तो हम कहां, संसद नहीं तो संविधान कहां, आस्था नहीं तो राजनीति कहां, और राजनीति कर रहे हैं तो किसके लिए? सिर्फ सरकार में आने के लिए? आज सरकार में आने से ज्यादा जरूरी है देश बचाना। और देश तब बचेगा जब यूपीए सरकार को जनतांत्रिक ढंग से उतारने के लिए सड़कों पर संघर्ष प्रारंभ किया जाएगा। संसद में बहस और इस्तीफे की मांगों का सिलसिला बहुत हो चुका। अब तो इसे साफ करने के लिए सड़कों पर राष्ट्रभक्तों को उतरना होगा।

कोयले की दलाली से कांग्रेस का चेहरा जन-जन के बीच काला हो चुका है। कांग्रेस ने तो तय कर लिया है कि लोकतंत्र के घुटने टूट जाएं पर उनके कुर्सी के घुटने नहीं टूटें। इसलिए कांग्रेस कुर्सी बचाने के लिए नित नई तरकीबें निकाल रही है। अब उसे कुर्सी से अगर उतरना है तो जनता को जगाना होगा और देश को बचाना होगा। जनता जागेगी जन जागरण से। और जन जागरण होगा सड़कों पर संघर्ष करने से। ■

भाजपा सरकार ने किया हिमाचल का चहुंमुखी विकास : राजनाथ सिंह

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 11 अगस्त 2012 को हमीरपुर में आयोजित ''युवा संकल्प रैली'' के मुख्य अतिथि एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने रैली को सम्बोधित करते हुए हिमाचल सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और केन्द्र सरकार पर निशाना

साधते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की जन-विरोधी एवं गरीब विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले लोक सभा चुनाव में एनडीए की केन्द्र में सरकार होगी। श्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश भाजपा की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि धूमल जी ने जनता के साथ जो वायदे किए थे उन सभी वायदों को पूरा किया और उससे आगे बढ़ कर हिमाचल का चहुंमुखी विकास किया है। धूमल सरकार के विकास की बदौलत आज हिमाचल सरकार को 68 अवार्ड मिले है।

रैली को सम्बोधित करते हुए मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हम विकास के नाम पर एक-जुट हो कर जनता के बीच जाएंगे और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है।

इसी रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शान्ता कुमार जी ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से एकजुट है और हम सभी साथ मिलकर भाजपा की सरकार राज्य में दोबारा बनाएंगे। ''युवा संकल्प रैली'' को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए किसी सरकार ने अगर काम किया है तो भाजपा सरकार ने ही किया है। भाजपा सरकार ने कई ऐसी योजनायें शुरू की हैं जो पूरे देश में एक मिसाल बन गई हैं जैसे कि अटल यूनीफार्म योजना, दुग्ध गंगा योजना, अटल स्वास्थ्य योजना व अन्य कई ऐसी योजनायें हैं जो हिमाचल की विकास गाथा को बयां करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.पी.नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राज्य का विकास नहीं चाहते हैं। इस विधान सभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेसियों को सबक सिखाएगी। ■

सीएजी ने उठाया प्रधानमंत्री पर सवाल

–संवाददाता द्वारा

सीएजी की रिपोर्ट ने फिर से केन्द्र में यूपीए-नीत सरकार को भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कठघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस-नीत यूपीए शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें विभिन्न रूपों में गहराई तक ही नहीं जा पहुंची हैं बल्कि इसकी विशालकाय राशियों को देखकर पूरा देश बार-बार स्तब्ध होकर रह गया है। इस बार रिपोर्ट में सीधे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भर्त्सना हुई है, जिन्होंने 2006 और 2009 के बीच कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभाल रखा था। सीएजी द्वारा दी गई धनराशि के नुकसान को देखकर किसी का भी मस्तिष्क घूम जाता है, जिसमें इस घोटाले में यह 1.86 लाख करोड़ की ऐसी विशालकाय राशि है जो 2जी घोटाले से भी कहीं बड़ी राशि है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के विपरीत प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन भी सीधे इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वे इसके लिए अपनी नैतिक और राजनैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

सीएजी रिपोर्ट में न केवल कोयला आवंटन में घोटाले की बात कही गई है बल्कि इसमें सिविल एविएशन और बिजली क्षेत्र के भारी घोटाले का भी पर्दाफाश हुआ है। देखा गया है कि सिविल एविएशन (नागर विमानन) घोटाले में 1.63 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है तो बिजली क्षेत्र में इसका आकलन 29,033 करोड़ रुपए का समझा जाता है। 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना नीलामी के 57 कोयला ब्लाकों के आवंटन से प्रमुख रूप से 25 प्राइवेट कम्पनियों को अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिला है। प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने में देरी किए जाने के कारण वर्तमान प्रक्रिया अपनाने से प्राइवेट कम्पनियों को लाभ होने का अनुमान है जिससे देश में खजाने को 186,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी प्रकार सिविल एविएशन घोटाले में जमीन का आवंटन 100 रुपए प्रति वर्ष की राशि की लीज पर करने से देश के खजाने का नुकसान 1.63 लाख करोड़ का आंका गया है। अल्ट्रा मैगा पावर प्रोजेक्ट्स घोटाले में डेवलेपर्स की पहचान करने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही जिससे रिलायंस पावर ने देश के खजाने को 29,033 करोड़ रुपए को नुकसान पहुंचाकर चार परियोजनाओं में से तीन परियाजनाएं हड़प लीं। कुल मिलाकर 38,00,00,00,00,000 रुपए का भारी भरकम नुकसान आंका गया है। सीएजी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

I. कोयला ब्लाकों के आवंटन और कोयला उत्पादन संवर्धन पर सीएजी की रिपोर्ट (2012-13 की रिपोर्ट सं. 7)- अनियमितताएं जिम्मेदारी

परफोर्मेंस ऑडिट में 2006-07 से 2010-11 की अवधि तथा 2004 के आगे से एमओसी द्वारा कोयला ब्लाक का आवंटन शामिल हैं। इस अवधि के दौरान अधिकांश समय में वरिष्ठ मंत्री का प्रभार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कनिष्ठ मंत्री का प्रभार भी कांग्रेस के पास रहा। 23 मई 2004 से 6 अप्रैल 2008 तक कांग्रेस के पूर्व राज्य सभा

सांसद डी नारायण राव और 7 अप्रैल 2008 से 29 मई 2009 तक राजस्थान से कांग्रेसी सांसद संतोष बगरोडिया ने कोयला राज्य मंत्रियों का कार्यभार संभाला।

देखा गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी को छोड़कर स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश की प्रक्रिया के माध्यम से कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया।

आवंटन

2006 में, विधि प्राधिकरण विभाग ने विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी से आवंटन की सिफारिश की थी। इसके बावजूद कुल 142 कोयला ब्लाकों (36972.97 मी. ट. का भूगर्भीय रिजर्व) जुलाई 2004 से विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट पार्टियों को किया गया, जिसमें वर्तमान आवंटन प्रक्रिया को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत, स्क्रीनिंग कमेटी ने कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर आवंटन की सिफारिश कर दी। किसी भी दस्तावेज में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि मूल्यांकन का क्या आधार होगा और आवेदकों का तुलनात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इस प्रकार, स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला ब्लाकों के आवंटन की पारदर्शी विधि नहीं अपनाई।

रिपोर्ट में आवंटन की अनियमितताओं के दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं। फतेहपुर कोयला ब्लाक के मामले में, 69 आवेदकों में से 36 आवेदकों को प्रस्तुतीकरण के लिए चुना गया और एस के एस इस्पात और प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. को कोयला ब्लाक का आवंटन कर दिया गया। रम्पिया के मामले में कोयला आवंटन के लिए 108 आवेदकों में से केवल 2 को प्रस्तुतीकरण के लिए चयन हुआ और अन्ततः 6 कम्पनियों को आबंटित किया गया, जिनके नाम है स्टरलाइट एनर्जी लि., जीएमआर एनर्जी लि., लेंको ग्रुप लि., नवभारत पावर लि., मित्तल स्टील लि. और रिलाइंस पावर लि.।

कोयला मंत्रालय ने अपने दृष्टिकोण का बचाव किया और कहा कि कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था, अतः प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी की प्रक्रिया बनाए बिना वर्तमान व्यवस्था को अपनाया गया। किन्तु, यह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जैसाकि रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 ब्लाकों का आवंटन नहीं हुआ, 3 ब्लाकों का आवंटन किए जाने के बाद आवंटन खत्म कर दिया गया और 9 ब्लाकों ने सामान्य उत्पादन तारीख निकल जाने के बाद भी उत्पादन शुरू ही नहीं किया। शेष 27 ब्लाकों में से सामान्य उत्पादन कार्यक्रम जुलाई 2011 की अवधि को पार कर गया। इस प्रकार, कोयला ब्लाकों से वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं हुई।

प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी का प्रस्ताव पहले-पहल जून 2004 में तैयार किया गया था। किन्तु, नीलामी प्रक्रिया की मॉडेलिटीज अभी तय करना बाकी था। प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी की प्रक्रिया की शुरूआत में जानबूझ कर देरी की गई और रिपोर्ट में प्रधानमंत्री तथा कोयला मंत्री को माना गया है, कि उन्होंने इस देरी को होने दिया।

31 मार्च 2011 को सीएजी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 57 ओसी/मिक्सड माइंस के सम्बन्ध में प्राइवेट पार्टियों को 185591.34 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ। कोयला मंत्रालय ने यह कह कर इसका खण्डन किया है कि आबंटित ब्लाकों से मिलने वाला कोयला व्यापारिक बिक्री के लिए नहीं था। अन्यथा भी, पावर सेक्टर में टैरिफ का नियमितीकरण किया गया और सीमेंट तथा स्टील सेक्टरों के उत्पादनों की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बाजार में चैक करके रखा गया।

किन्तु, इस प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि कोल इंडिया और कैप्टिव माइनिंग से मिले कोयले की कीमतों में काफी अन्तर है और केप्टिव माइनिंग से मिले कोयले की लागत भी कहीं कम होती है। अतः जिन्हें कोयला ब्लाकों का आवंटन हो गया, उनके हिस्से में लाभ के रूप में रुपयों की बरसात हो गई। यदि प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई गई होती तो इन कम्पनियों के हिस्से में थोड़ा सा ही लाभ हो पाता।

कोयला मंत्रालय ने अपने एक स्पष्टीकरण वक्तव्य में कहा है कि कोयला खानों को आवंटन का उद्देश्य इस सेक्टर में निवेश बढ़ाना था और इससे राजस्व प्राप्ति की बजाए कोयले के उत्पादन को बढ़ाना था। किन्तु, ऐसी स्थिति में, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की तरह ही, देश के इन मूल्यवान संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत से अगम्भीर आवेदकों (non-serious players) के घुसने की संभावना बन जाती है, जो बाद में बहुत बढ़े-चढ़े दामों पर उत्पादन को बेच देते हैं। स्पष्ट है,

स्क्रीनिंग कमेटी ने कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर आवंटन की सिफारिश कर दी। किसी भी दस्तावेज में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि मूल्यांकन का क्या आधार होगा और आवेदकों का तुलनात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इस प्रकार, स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला ब्लाकों के आवंटन की पारदर्शी विधि नहीं अपनाई।

यदि एक बार नीलामी प्रक्रिया लागू हो जाती तो इन्हीं ब्लाकों से सरकार को, जो उसने लगभग मुफ्त के मोल बेच दिए, बाजार की निर्धारित दरों पर कीमत मिल जाती।

कोयले के उत्पादन पर नजर रखने के लिए एक नोडल एजेंसी कोल कंट्रोलर्स आर्गेनाइजेशन (सीसीओ) की स्थापना की गई। परन्तु, इसने किसी भी कोयला ब्लाकों का स्वयं जाकर निरीक्षण नहीं किया। कोयला ब्लाकों की प्रगति की मासिक समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी इस संस्था की थी, जिसे नहीं किया गया।

सीएजी ने जेवी मोड के संचालन और ओएमडीए एवं एसएसए के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इस बात का सत्यापन करते हुए टिप्पणी की है कि क्या इससे भारत के हित और इससे प्राप्त होने वाले राजस्व की सुरक्षा हो पाई है? यह उल्लेखनीय है कि जब ओएमडीए और एसएसए पर विचार किया जा रहा था, उस समय कोई रेगुलेटरी संस्था नहीं थी।

II. पीपीपी इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली पर सीएजी की रिपोर्ट सं 5

कैबिनेट ने सितम्बर 2003 में संयुक्त उद्यम के माध्यम से दिल्ली-एयरपोर्ट के पुनर्विन्यास को मंजूरी दी। 4 अप्रैल 2006 को एएआई ने डायल के साथ आप्रेशनल मैनेजमेंट डेवलेपमेंट एग्रीमेंट (ओएमडीए) पर हस्ताक्षर किए। 26 अप्रैल 2006 को भारत सरकार ने डायल के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) पर हस्ताक्षर किए। सीएजी ने जेवी मोड के संचालन और ओएमडीए एवं एसएसए के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इस बात का सत्यापन करते हुए टिप्पणी की है कि क्या इससे भारत के हित और इससे प्राप्त होने वाले राजस्व की सुरक्षा हो पाई है? यह उल्लेखनीय है कि जब ओएमडीए और एसएसए पर विचार किया जा रहा था, उस समय कोई रेगुलेटरी संस्था नहीं थी। एयरपोर्ट इकॉनामिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) एक्ट दिसम्बर 2008 में स्थापित हुई।

डायल को 6.19 करोड़ रुपए की मामूली सी राशि पर 190.19 एकड़ की जमीन का हस्तांतरण करने के लिए अपफ्रंट फीस की अवधारणा का दुरूपयोग

एमओसीए ने प्रत्येक दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त अपफ्रंट फीस निर्धारित की थी, परन्तु, बाद में, 190.19 एकड़ की भूमि की मांग की और एएआई ने अतिरिक्त भूमि के लिए अपफ्रंट फीस के लिए आवेदन किया, जिसके लिए एक मुश्त 6.19 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई। यह उल्लेखनीय है कि ओएमडीए ने पट्टे वाली भूमि की 5 प्रतिशत जमीन को वाणिज्यिक लाभ के इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। एईआरए के अनुसार 9.50 एकड़ भूमि का वर्तमान मूल्य 950 करोड़ रुपए बैठता है। डायल के अपने अनुमान के अनुसार भी 9.50 एकड़ भूमि से 58 वर्ष में अर्जन क्षमता (681.63 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से) 6475 करोड़ रुपए बनती है।

239.95 एकड़ भूमि का वाणिज्यिक उपयोग का लाभ 24000 करोड़ रुपए के बराबर: 4799.09 एकड़ की पट्टे वाली भूमि को डायल को एक सौ रुपए प्रतिवर्ष की लीज पर दे दिया गया। ओएमडीए के अनुच्छेद 2.2.4 में डायल को कुल जमीन के क्षेत्रफल 4799.9 एकड़ 5 प्रतिशत या 235.95 एकड़ जमीन के वाणिज्यिक उपयोग की मंजूरी दी गई। इस भूमि की अर्जन क्षमता स्वयं डायल के अपने आकलन के अनुसार 1,63,557 करोड़ रुपए बैठती है। एईआरए ने भूमि का वर्तमान मूल्य 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया है और इस प्रकार डायल को वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि का वर्तमान मूल्य लगभग 24,000 करोड़ रुपए बनता है।

एयरपोर्ट विकास शुल्क : प्रभावित तारीख के बाद विकास शुल्क लगाने के निर्णय ने नीलामी प्रक्रिया को ही व्यर्थ कर डाला है क्योंकि ओएमडीए के प्रारूप में विकास शुल्क लगा कर परियोजना के वित्त पोषण का कहीं उल्लेख नहीं है। यदि जेवी को ओएमडीए के हस्ताक्षर करने के बाद वित्त पोषण के लिए विकास शुल्क लगाने की अनुमति होती तो यह शर्त नीलामी के समय के सभी नीलामीकर्ताओं पर लागू हो जाती। इससे डायल को यात्रियों की कीमत पर बेजा लाभ उठाने का मौका मिल गया क्योंकि यात्रियों को विकास शुल्क के रूप में दिल्ली एयरपोर्ट का उपयोग करने के लिए विकास शुल्क लिया जाता है जो 3415.35 करोड़ रुपए बैठता है।

मूल परियोजना लागत के मुकाबले वास्तविक परियोजना लागत में 3882 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी

डायल द्वारा स्वीकृत मूल परियोजना लागत 8975 करोड़ रुपए थी और डायल द्वारा वास्तविक परियोजना का किया गया दावा 12857 करोड़ रुपए है। परन्तु, एईआरए द्वारा स्वीकृत अंतिम परियोजना लागत 12502.086 करोड़ रुपए थी। अत: स्वीकृत परियोजना

लागत और अंतिम परियोजना लागत के बीच का अंतर 3882 करोड़ अर्थात् मूल परियोजना लागत से 43.25 प्रतिशत अधिक है।

डायल का परियोजना का वित्त पोषण : एईआरए द्वारा स्वीकृत 12502 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में प्रोमोटर्स का अंशदान केवल 19 प्रतिशत है। 5266 करोड़ रुपए (42 प्रतिशत) ऋणों से आएगा और 1471 करोड़ रुपए (12 प्रतिशत) सुरक्षा जमाराशियों से प्राप्त होगा। 50 करोड़ रुपए की राशि आन्तरिक स्रोतों से और 3415.35 करोड़ (27 प्रतिशत) एयरपोर्ट विकास शुल्क से प्राप्त होगी। आंतरिक स्रोतों की 50 करोड़ रुपए की राशि में मुम्बई एयरपोर्ट की तुलना में बहुत बड़ी विसंगति है, जहां से आंतरिक स्रोतों की राशि 1999 करोड़ रुपए बनती है। इस प्रकार, डायल को 2450 करोड़ रुपए का ईक्विटी अंशदान मिला, जिसमें से प्राइवेट कंसोरशियम का हिस्सा 1813 करोड़ रुपए है और इसके अतिरिक्त उसे 24000 करोड़ रुपए मूल्य का वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हो गया।

डायल के साथ वर्तमान लीज से राजस्व की हिस्सेदारी से 23.15 करोड़ रुपए की हानि हुई: आडिट में बताया गया है कि ओएमडीए के अतिक्रमण में डायल द्वारा संग्रहित की जा रही वर्तमान लीज में किराए की राशि के कारण एएआईको 23.15 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।

III. स्पेशल पर्पज वेहिकल्स के अन्तर्गत यूएमपीपी पर सीएजी रिपोर्ट सं.6

भारत सरकार के नवम्बर 2005 में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के विकास का निर्णय लिया, जिसमें से प्रत्येक परियोजना की क्षमता लगभग 4000 मे.वा. होगी और इस पर 16000-20000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विद्युत मंत्रालय ने (नवम्बर 2005) में स्पेशल पर्पज वेहिकल्ज (एसपीवी) के माध्यम से विकास के प्रयोजन के लिए पावर फिनांस कार्पोरेशन लि. (पीएफसी) को नोडल एजेंसी के रूप में लिया। एसपीवी ने मार्च 2006 से मार्च 2012 तक छह यूएमपीपी के लिए बोली आमंत्रित की और चार यूएमपीपी को डेवलेपर्स के रूप में एवार्ड दिया अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापत्तनम और झारखण्ड में तिलैया। प्रोजेक्ट

कोयला ब्लाक का घोटाला तो 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को भी पार कर गया है। आए दिन कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार अपने रिकार्ड तोड़ती नजर आती है और ऐसे-ऐसे आंकड़े देती है जिन पर विश्वास करना भी दुश्वार और शर्मनाक है। जिस ढंग से यह घोटाले लोगों के सामने आए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस-नीत यूपीए इन्हें शर्मनाक ढंग से इंकार करती रहती है, उसने लोगों का सिस्टम में ही भरोसा तोड़ कर रख दिया है।

डेवलेपर्स के चयन के लिए दो स्टेज की बोली पद्धति अपनाई गई। प्रथम चरण का नाम था 'रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस, जिससे बोली लगाने वाला न्यूनतम तकनीकी और वित्तीय सिद्धांतों की पूर्ति कर उनकी शार्टलिस्ट बनाई जाए। प्रथम चरण के सफल बोलीकर्ताओं को अगले चरण में भागीदार होने का हक रहेगा जिसका नाम होगा 'रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल' (आरएफपी) और उन्हें सम्बन्धित यूएमपीपी की शिड्यूल्ड कमर्शियल आपरेशन तारीख से 25 वर्षों के लिए टेरिफ की दर देनी होगी।

स्टेण्डर्ड बिड्डिंग डाक्युमेंट्स की प्रतिस्पर्धा पर समुचित जांच के लिए आडिट किया गया ताकि बोली की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके और यह आंका जा सके कि क्या डेवलेपर्स और परामर्शदाताओं का चयन उद्देश्यों की पूर्ति करता है और पारदर्शी ढंग से हुआ है और क्या भूमि का अधिग्रहण हुआ है तथा क्या डेवलेपर्स को पट्टे वाली कोयला ब्लाकों की भूमि उनकी इष्टतम आवश्यकताओं के अनुसार दी गई है?

आडिट के प्रमुख निष्कर्ष

बोली प्रक्रिया प्रबंधन परामर्शदाताओं की नियुक्ति :

हालांकि बोली मूल्यांकन समिति ने न्यूनतम बोली लगाने वाली (मैसर्स आईसीआरए) को दो यूएमपीपी (सासन और मुंद्रा) की परामर्शी नियुक्ति के लिए तकनीकी रूप से योग्य पाया, परन्तु उनकी बोली पर विचार नहीं हुआ और ठेका मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग (मैसर्स ई एंड वाई) को इस आधार पर दिया गया कि उन्होंने बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट की बोली प्रक्रिया प्रबंधन का काम किया था। मैसर्स ई एंड वाई को कृष्णापत्तनम की परामर्शी नियुक्ति भी दे दी गई। तिलैया परियोजना का परामर्शी कार्य भी मैसर्स ई एंड वाई को बिना बोली आमंत्रित किए दे दिया गया। इस प्रकार ई एंड वाई को परामर्शी नियुक्ति देते हुए समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। बाद में, पीएफसी ने बोली मूल्यांकन की खामियों पर उस पर तीन वर्ष के लिए रोक लगा दी।

बोली मूल्यांकन में अंतराल

आर एफ क्यू दस्तावेजों में निर्धारित न्यूनतम तकनीकी योग्यता सिद्धांतों के अनुसार बोली लगाने वाली कम्पनी या कंसोर्शियम मेम्बर के लिए पिछले 10 वर्षों में विकास परियोजनाओं के अनुभव

की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिसके पास कुल पूंजीगत लागत का होना जरूरी है जो 3000 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। इन परियोजनाओं में से, कम से कम एक परियोजना की पूंजीगत लागत 500 करोड़ रूपए के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए। आडिट में कहा है कि सभी तीन यूएमपीपी में जो प्रोजेक्ट डेवलेपर्स, रिलाइंस पावर लि. को दिए गए, उनका दावा रहा है कि उनके पास पिछले 10 वर्षों की अवधि में (सासन और मुंद्रा के लिए 3,123.88 करोड़ रुपए, कृष्णापत्तनम के लिए 2137.49 करोड़ रुपए) के फिक्स्ड एसेट्स के आधार पर डेवेलपिंग परियोजना का अनुभव है, इस तथ्य के होते हुए भी कि परियोजना अनुभव के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्टों की केवल पूंजीगत लागत को ही गिना जाना था।

प्रोजेक्ट डेवलपर्स को वित्तीय लाभ : प्रति वर्ष 16 मिलियन टन की कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीन कोयला ब्लाकों अर्थात् मोहेर, मोहेर-अम्लोहरी एक्सटेंशन और छत्रसाल को सासन यूएमपीपी को आबंटित किया गया। आरपीएल को अपनी उन अन्य परियोजनाओं के लिए सासन यूएमपीपी को आबंटित ब्लाकों से प्राप्त सरप्लस कोयले का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई थी, जहां बिजली को टेरिफ आधारित बोली पर बेचा जाता है।

इस निर्णय से प्रोजेक्ट डेवलेपर्स को 29,033 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ, जिसका निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 11,852 करोड़ रुपए बनता है। सासन यूएमपीपी को आबंटित तीन कोयला ब्लाकों से आरपीएल द्वारा अतिरिक्त कोयले के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद न केवल नीलामी प्रक्रिया दूषित हुई है बल्कि इससे आरपीएल को अनुचित लाभ भी मिला है।

अब समय आ गया है कि डॉ. मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो वे न केवल अपने मंत्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि उनके पास के मंत्रालयों में ही घोटालों का बोलबाला है।

~~~~~~☯☯☯~~~~~~

निष्कर्ष

सीएजी रिपोर्ट से यह बात साफ तौर पर सिद्ध हो जाती है कि व्यापक रूप से पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद देखा गया है कि देश के खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कोयला ब्लाक का घोटाला तो 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को भी पार कर गया है। आए दिन कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार अपने रिकार्ड तोडती नजर आती है और ऐसे-ऐसे आंकड़े देती है जिन पर विश्वास करना भी दुश्वार और शर्मनाक है। जिस ढंग से यह घोटाले लोगों के सामने आए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस-नीत यूपीए इन्हें शर्मनाक ढंग से इंकार करती रहती है, उसने लोगों का व्यवस्था में ही भरोसा तोड़ कर रख दिया है। कांग्रेस जिस तरह दृष्टिकोण अपना रही है उससे पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी जवाबदेह नहीं है और किसी की भी मंशा नहीं है कि व्यवस्था को सुधारा जाए, जिसका सीधा सा मतलब है कि भ्रष्टाचार और घोटालों से लड़ने का संकल्प ही नहीं है। सच तो यह है कि कांग्रेस-नीत यूपीए और उसके मंत्री घोटालों का बचाव करने में लगे रहते हैं और वे ऐसी किसी भी प्रकार की जांच का विरोध करते हैं जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही का पता लग सके।

बड़ी संख्या में घोटालों का पर्दाफाश हुआ है और फिर भी ये 'ऊंट के मुंह में केवल जीरे की कहावत' को सिद्ध करते हैं। कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की उपलब्धियां हैं- कॉमनवेल्थ खेल घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला, आईएसआरओ-देवास सौदा, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और न जाने कितने अनगिनत घोटाले। ऐसे दो प्रमुख घोटाले हैं- आईएसआरओ-देवास सौदा और कोयला ब्लाक घोटाला- जिनके मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के पास रहे। एक वरिष्ठ यूपीए मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल जाना पड़ा, एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और भी बहुत से मंत्री तथा सांसद है जिन पर जांच एजेंसियों की निगरानी में मुकदमा चल रहा है। सरकार इन मंत्रियों और घोटालेबाजों का बचाव कर रही है और इस प्रकार भ्रष्टाचारी लोगों तथा सार्वजनिक धन को लूटने वाले लोगों के हितों को साध रही है।

अब समय आ गया है कि डॉ. मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो वे न केवल अपने मंत्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि उनके पास के मंत्रालयों में ही घोटालों का बोलबाला है। सरकारी धन की लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार ठीक उनकी नाक के नीचे हो रहे हैं, बल्कि उनके मंत्रालयों में भी हो रहे हैं। वह कोई भी कदम उठाने में असमर्थ है, उन्होंने कभी भ्रष्टाचार से लड़ने की मंशा नहीं दिखाई और न ही वे भविष्य में कोई कदम उठाना चाहते हैं। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उन्होंने अब इस महान राष्ट्र का प्रधानमंत्री रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अब तो वे राष्ट्र की सेवा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर ही कर सकते हैं। ईश्वर करे, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो! ■
~~~~~~

विकास हमारे आदर्शवाद का हिस्सा है : नितिन गडकरी

इस बैठक की पृष्ठभूमि

1. देश के आर्थिक हालात चिंता का कारण बने हैं। GDP नीचे जा रहा है और Governance Deficit तथा Policy Paralysis यानि GDP लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक-सुधार महीनों से लटक रहे हैं। बुनियादी निर्णय टाले जा रहे हैं।
2. इनकी असफलता चौतरफा है। इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। उद्योगपति, किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिलाएं, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग सभी हताश हैं। महंगाई आसमान छू रही है और हमारे प्रधानमंत्री बारिश कम होने का बहाना लगा रहे हैं। इनकी सरकार में नीति और नीयत का ही अकाल है। न नीति-निर्धारण है, न निर्णय लेने की इच्छाशक्ति (will power) है।
3. अ-कर्मण्यता के कारण न्यायालय की फटकार खाने में इस सरकार ने उच्चांक स्थापित किया है। छोटे-छोटे प्रशासनिक मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए लोगों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं।
4. असम में विदेशी नागरिकों के लिए Red Carpet स्वागत हो रहा है जबकि देशभक्त भारतीयों को भागने पर बाध्य होना पड़ा रहा है। मुंबई की घटना देश विरोधी ताकतों को मिल रहे संरक्षण का उदाहरण है। UPA की इस सरकार का न कोई नायक (leader) है, न कर्त्ता है न उत्तरदाता (answerable) न इनके पास कोई विज़न है, न कोई निश्चय है। दुनियाभर की Rating Agencies ने इस सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते देश की साख को नीचे किया है। न केवल देश अपितु दुनिया में भी यूपीए सरकार की साख खत्म हो गई है।

एनडीए शासन की तुलना में यूपीए

1. When the NDA left office the debt to GDP ratio was 17.8% today it is 68.05%. This has made India the worst amongst the BRIC Countries.

गत 18 अगस्त 2012 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए भाषण के प्रमुख बिन्दु

2. कई अर्थशास्त्रियों ने हाल ही में अपने लेखों में लिखा है कि एनडीए शासन के दौरान आर्थिक प्रगति अधिक समावेशी थी जबकि यूपीए शासन में गरीब और अमीरों के बीच की खाई और बढ़ी है - विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के संदर्भ में विकास की रफ्तार और उसका समावेशी स्वरूप एनडीए के कार्यकाल में अधिक उल्लेखनीय था।
3. प्रधानमंत्री हर समय राजनीतिक आम सहमति के 'कथित अभाव' पर विकास अवरूद्ध होने का ठीकरा फोड़ते हैं। मगर हमने कई बार पूछा है कि Infrastructure विकास से लेकर कृषि विकास की दर बढ़ाने तक कई विषयों के संदर्भ में यह कारण कैसे लागू होता है?

4. यह तथ्य अनेक बार उजागर हुआ है कि भारत के राज्य वित्तीय अनुशासन का ठीक से पालन करते हैं और वित्तीय प्रबंधन में भी कुशलता का परिचय देते हैं जबकि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए!
5. बेरोजगारी दर के मानक पर NDA शासित राज्यों की performance UPA शासित राज्यों की तुलना में अधिक अच्छी हैं। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा शिक्षा पर होने वाले व्यय के संदर्भ में भी NDA शासित राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
6. यूपीए सरकार महाघोटालों की सरकार है यह साबित हो चुका है। नया दिन-नया घोटाला यह इस सरकार की आज की स्थिति है।

हमारे राज्यों का Performance अच्छा है

1. हमारे सामने चुनौतियां भी पहले से ज्यादा हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इन राज्यों में हमेशा ज्यादा रहती आयी है। फिर भी हमने सफलतापूर्वक तरक्की के रास्ते पर चल कर दिखाया है।
2. State Domestic Product की वृद्धि में प्रथम 6 राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड इत्यादि भाजपा शासित राज्यों की बहुसंख्या है।
3. मोदीजी, मनोहर पार्रीकर, धूमलजी, शिवराजजी, रमनजी - ऐसे कईयों ने सर्वोत्तम मुख्यमंत्री पुरस्कार एवं खिताब अर्जित किए हैं।
4. मध्य प्रदेश में कृषि-विकास की दर 3 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक बढ़ पायी, यह एक क्रांतिकारी सफलता है। गुजरात में सौर ऊर्जा के लिए प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। छत्तीसगढ़ ने Info-tech क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक को अच्छी तरह अपनाया है। कर्नाटक का आर्थिक प्रबंधन तथा ओ.बी.सी. बजट की कल्पना का सभी ओर स्वागत हुआ है।
5. गोवा के मुख्यमंत्री ने खनन के क्षेत्र में आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता के भरसक प्रयास प्रारंभ किए हैं। हिमाचल सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानदण्ड स्थापित किए हैं। झारखंड की दाल-भात योजना ने गरीबों को सहारा दिया है। बिहार का आर्थिक प्रबंधन और पंजाब में लोक-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन - इनकी सभी ओर सराहना हुई है।
6. कई अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि समावेशी विकास (Inclusive Development) की बात करने वाली यूपीए की तुलना में एनडीए की विकास नीति अधिक समावेशी (Inclusive) साबित हुई है।

आने वाले समय की चुनौतियां

1. हमारी Governance की सफलता को हमें Political Success में भी रूपांतरित करना होगा।
2. जिसें aspirational India कहते हैं ऐसा उम्मीद रखने वाला भारत अगर किसी की ओर आशाभरी निगाहों से देख रहा हैं तो वह हम हैं।
3. हमारे राज्य देश की प्रगति में बहुत सराहनीय योगदान दे रहे हैं। पूरा देश इसी तरीके की प्रगति चाहता हैं। मगर जहां राज्य सरकारें प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं, केन्द्र सरकार प्रगति के मार्ग पर गतिरोधक (Speed Breaker) बनी हुई है।
4. केन्द्र की सत्ता हेतु लोगों का विश्वास जीतते हुए हमें यह गतिरोधक दूर करना पड़ेगा।
5. हमारे ऊपर ऐतिहासिक दायित्व है। हमें लोगों को कुशासन से मुक्त कर सु-शासन देना है। जहां हम सत्ता में हैं वहां हमें सत्ता को मजबूत करना है। जहां नहीं हैं, वहां हमें सत्ता में आना है और इसलिए हमने विभिन्न राज्यों के हमारे विपक्षी नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता राज्यों से गुजरता है।
6. कल ही इंडिया टूडे का सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार 33 प्रतिशत लोग मानते है कि भाजपा देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए सुयोग्यतम दल है। 31 प्रतिशत यह मानते है कि गरीबों की चिन्ता हम सबसे अधिक करते हैं। यह आंकड़े जन-विश्वास के परिचायक है। और हमें दायित्व का एहसास भी कराते है।
7. ध्यान रहे कि विकास हमारे आदर्शवाद का हिस्सा है। विकास के बगैर मातृभूति को परम वैभव तक हम नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमारा NDA एक अर्थ से National Development Alliance भी रहा है, और रहेगा।

मैं इस सम्मेलन से आह्वान करता हूं कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, मजदूरों, तथा युवाओं के सर्वागीण विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए बेहतर भारत के लिए एक नए मार्ग को प्रशस्त करें। इन वर्गों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का एक व्यापक कार्यक्रम निर्धारित करें। ■

संसद में किसानों की आवाज बुलंद करेगी भाजपा

खादों की बढ़ी कीमतें वापिस हों

गत 20 अगस्त को देशभर से आए हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर धरना दिया। इस धरने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, भाजपा के महासचिव व प्रवक्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय मंत्री श्री मुरलीधर राव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री व मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सत्यपाल, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने किसानों की मांगों के समर्थन में शामिल हो धरने का नेतृत्व किया।

इस धरने में मोर्चे की तरफ से उठाई जा रही अनेक मांगें रखी गई। इनमें बाढ़ व सूखे से पीड़ित किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राहत देने, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों के लिए बिना किसी भेदभाव के अंतरिम राहत राशि जारी करने, सूखे व बाढ़ से प्रभावित किसानों के कृषि कर्जे को ब्याज मुक्त करने व कर्ज की राशि की वसूली को अगली फसल आने तक रोकने तथा बिजाई के क्षेत्र में पीछे रह गए किसानों को आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने, पशुचारे की उचित व्यवस्था कराने, कृषि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने, केन्द्र की ओर से घोषित पैकेज शीघ्र देने, गन्ने की बकाया राशि जारी करने, नहरों में क्षमता के मुताबिक पानी छोड़ने, खादों की सब्सिडी किसानों को सीधे रूप में देने, सब्सिडी का नया ढांचा जारी होने तक पहली नीति के तहत खाद उपलब्ध कराने, यूरिया पर नियंत्रण नीति जारी रखने व खादों का वितरण पहली नीति के अनुसार करने जैसी मांगे शामिल रही।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांगेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश में प्राकृतिक आपदा के कारण संकट में पड़े किसानों को राहत देने के स्थान पर कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर उनके लिए और संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां देश के आधे से ज्यादा किसान सूखे का संकट झेल रहे हैं वही अनेकों किसान बाढ़ के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकट के बावजूद केन्द्र सरकार आंखें मूंद कर किसानों को असामयिक मौत से मरने के लिए छोड़े बैठी हैं।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि किसानों की दशा सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों की फसलों का समर्थन मुल्य उनके लागत मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने अपने तीन राज्यों में किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देकर संकट में फंसे किसानों को बड़ी राहत दी है, लेकिन केन्द्र सरकार किसानों को कोई राहत देने को तैयार नहीं है।

इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की नीतियां शुरू से ही किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसान की तकदीर बदलने की योजना नहीं बनती तब तक देश की तस्वीर नहीं बदली जा सकती।

धरने को संबोधित करते हुए श्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि भाजपा शासित राज्य ही किसानों की हितैषी सरकारों की भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर मोर्चा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार की परिवर्तित खाद नीति के कारण किसानों के लिए खाद खरीदना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पानी व बीज के बाद किसानों के लिए खाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है, पर रासायनिक खादों की लगातार बढ़ रही कीमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ■

केन्द्र सरकार की नाकामी से हुई असम हिंसा : लालकृष्ण आडवाणी

गत 28 अगस्त 2012 को लोकसभा में `असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति और बड़े पैमाने पर हो रही जातीय हिंसा को रोके जाने के बारे में' स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जो घटनाएं असम में हुई हैं उनमें यह विफलता मुख्य रूप से केन्द्र सरकार की है। उन्होंने बंगलादेशी घुसपैठ को `विदेशी आक्रमण' करार दिया। हम यहां श्री आडवाणी द्वारा दिए गए भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

''वैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति के आकलन और कोकराझार, धुबरी और अन्य जिलों के बीटीएसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही जातीय हिंसा, जिसमें कई व्यक्ति मारे गए हैं और हजारों विस्थापित

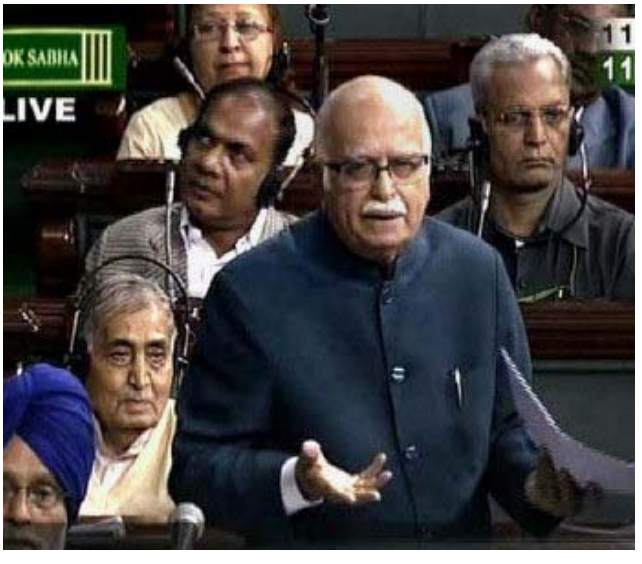

हो गए हैं, को रोकने में सरकार की विफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं समझता हूं कि जो घटनाएं इन दिनों असम में हुई हैं उनमें यह विफलता मुख्य रूप से केन्द्र सरकार की है।

पिछले दिनों 30-31 तारीख को मैं असम गया था, कोकराझार गया था, जहां पर ये घटनाएं सबसे अधिक हुईं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब इस प्रकार के तनाव होते हैं तो उसमें कई बार बहुत लोगों की मौत हो जाती है।

लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार जो कुछ हुआ है वह असम की कुल जनसंख्या जो लगभग तीन करोड़ होगी और उसमें दो लाख से अधिक लोग बेघरबार हो गए जो कि अभूतपूर्व है। मैं बोडो और नॉन-बोडोज़ के रिलीफ कैम्प में गया था और उनसे मिला था। उनमें अधिकतर महिलाएं और उनके बच्चे थे। दोनों ही कैम्पों में लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने घरों को वापस जा ही नहीं सकेंगे। मैं आरंभ में ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सवाल को सांप्रदायिक नजर से नहीं देखना चाहिए। हमें समझना होगा कि जो स्थिति आज असम में पैदा हुई है वह मूलत: हिन्दु वर्सिस मुस्लिम या ट्राइबल वर्सिस नॉन ट्राइबल नहीं है। मूलत: इस समस्या की जड़ है कि भारतवासी कौन है और विदेश से आया हुआ कौन है। मैं कहूंगा कि बांग्लादेश से बहुत सालों से हो रही घुसपैठ के कारण धीरे-धीरे केवल असम के लिए नहीं, केवल पूर्वी भारत के लिए नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई है। वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि असम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। अगर उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी फिर से विस्फोट हो सकता है, फिर

संसद में दिए गए चुने हुए भाषणों को हम कमल संदेश में प्रकाशित करते हैं ताकि बहस के दौरान उठाए गए विषयों एवं उसके विभिन्न पहलुओं को अपने राष्ट्रवादी पाठकों तक पहुंचा सकें। अक्सर भाषण, विषय एवं चर्चा के क्रम में दिए गए तर्क एवं तथ्य लोगों तक नहीं पहुंच पाते इसलिए हम महत्त्वपूर्ण एवं चुने हुए भाषणों को अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं। आशा है हमारे सुधी पाठक इसका लाभ उठाएंगे।

-सम्पादक

से वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। धीरे-धीरे असम की मूल जनता के मन में भाव यह आ रहा है कि हमारी सब जमीनें दूसरे लोग ले जायेंगे और हम उससे वंचित हो जायेंगे। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। इस समस्या की ओर अगर सारे देश का ध्यान किसी ने दिलाया तो 1980 में जब वहां के छात्रों ने, नौजवानों ने इसके खिलाफ आन्दोलन किया। यहां तक कि चुनाव में भी लोगों ने भाग नहीं लिया।

मैं कहता हूं कि अगर कोई भारतवासी है और वह बेघर हो गया तो सरकार की जवाबदेही है कि उसको घर दे। लेकिन अगर कोई विदेशी भी यहां आता है और उसकी कोई हत्या करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने बार-बार कहा कि यह एथनीसिटी का सवाल नहीं है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ है और उसके कारण जो परिणाम पैदा होता है, स्थिति पैदा होती है, वह एक बहुत गंभीर मामला है और उसमें स्टेट गवर्नमैंट से ज्यादा जवाबदारी केन्द्र सरकार की है। उच्चतम न्यायालय ने 2005 में आईएमडीटी एक्ट को जब रद्द किया तो उन्होंने उसमें जो-जो कहा है, वह बहुत गंभीर है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो फारेनर्स एक्ट है वह लागू करके जो विदेशी हैं, उन्हें निकाल दो। 1964 के आर्डर को लगाओ तो भारत सरकार ने तय किया कि जो 1964 का आर्डर है, वह असम पर नहीं लगेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईएमडीटी अधिनियम को खत्म करने के एक वर्ष के भीतर ही एक बार पुनः हस्तक्षेप किया और कहा कि जो कुछ अब किया गया है वह हमारे निर्णय के उलट है और एक प्रकार से हमारे निर्णय को नजरअन्दाज किया गया है और यह भी कहा कि पिछली बार हमने कोई समय-सीमा नहीं दी। भारत सरकार को यह नहीं कहा कि आईएमडीटी अधिनियम को खत्म करने के बाद आपको विदेशी घुसपैठियों को कब तक निकालना चाहिए। 5 दिसम्बर, 2006 को यह आदेश जारी किया कि चार महीने के अन्दर-अन्दर आईएमडीटी अधिनियम को खत्म करते हुए जो आदेश दिया था उसे लागू करो। मैं सरकार की इससे बड़ी विफलता अन्य कोई नहीं मान सकता।

कोई भी बांग्लादेशी हिन्दुस्तान में आ गया तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और अगर डिपोर्टेशन न हो सके तो डिसइन्फ्रैंचाईजमेंट अवश्य हो। सरकार इसके लिए एक निश्चित अवधि तय करके इस सदन को बताए तो इस समस्या का समाधान होगा।

मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वह केवल असम के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक महान संकट है। असम की सामरिक स्थिति ऐसी है कि इसकी उपेक्षा करना मैं बहुत गंभीर संकट मानता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि अवैध आव्रजकों और गैर-स्थानीय समुदाओं द्वारा सरकारी भूमि को हड़प किए जाने और वन भूमि के अतिक्रमण से स्थानीय समुदायों के साथ उनके गंभीर मतभेद हो गए हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

मैं मानता हूं कि सामान्यतया दुनिया का कोई भी देश जहां इतने बड़े पैमाने पर अवैध आव्रजन होता हो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है और वहां इसके खिलाफ कार्यवाही होती है। किन्तु यहां पर तो दो-दो बार उच्चतम न्यायालय के आग्रह के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आज जब बहस समाप्त होगी तब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वे स्वयं अंदाजा बतायें कि बांग्लादेश से कितने अवैध घुसपैठिए हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों में हैं और उनमें से कितने लोग खासकर असम में हैं और यह जो इलाका बोडोज का है, वहां पर कितने आए हैं?

मैंने अपना जब भाषण आरंभ किया था तभी मैंने कहा था कि यह मुद्दा देशी और विदेशी का है और उस कारण से मेरा आग्रह है कि एक अद्यतन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार होना चाहिए। जो सिटीजन्स नहीं हैं, जो बांग्लादेश से आये हैं, उनका नाम वहां से काटा जाना चाहिए। फिर जनजातीय क्षेत्रों की अनुल्लंघनीयता बनाई रखी जानी चाहिए। यह सदन स्वीकार कर ले कि असम को सुरक्षित करने से हम एक प्रकार से भारत की एकता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। इस पर अगर सर्वसम्मति इस चर्चा में से निकलती है तो बहुत अच्छा है।

लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी बांग्लादेशी हिन्दुस्तान में आ गया तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और अगर डिपोर्टेशन न हो सके तो डिसइन्फ्रैंचाईजमेंट अवश्य हो। सरकार इसके लिए एक निश्चित अवधि तय करके इस सदन को बताए तो इस समस्या का समाधान होगा। ■

कांग्रेस की वोट-बैंक की राजनीति जिम्मेदार : अरुण जेटली

एक ननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि असम में हुई भारी हिंसा देश की छवि पर कलंक है। इस तरह की हिंसा का एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। सच्चाई यह है कि चार लाख से अधिक लोग बेघर हो गए, 100 से अधिक लोग मारे गए और समाज का सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो गया जो इस बात का प्रमाण है कि असम में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई है। जिन लोगों की जानें गईं या घायल हुए या जिनकी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। यह बहुत जरुरी है कि राहत और पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाई जाए जिससे कि इस अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद हो सके। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई।

किसी भी क्षेत्र या राज्य की आबादी के लिहाज से भौगोलिक स्थिति बदलने से उस पर असर पड़ता है। भारत में हम संवेदनशील क्षेत्रों की आबादी के लिहाज से भौगोलिक स्थिति की रक्षा करने की परम्परा हमेशा रही है। पर्वतीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र ऐसे उदाहरण है जहां भौगोलिक स्थिति की रक्षा की गई है क्योंकि भूमि, अर्थव्यवस्था और संस्कृति इन क्षेत्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान रही है। इस सच्चाई को आजादी से पहले के असम के नेताओं ने समझ लिया था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1945 के अपने चुनाव घोषणापत्र में लिखा था कि जब तक असम प्रांत को असमी भाषा और असमी संस्कृति के आधार पर संगठित नहीं किया जाएगा

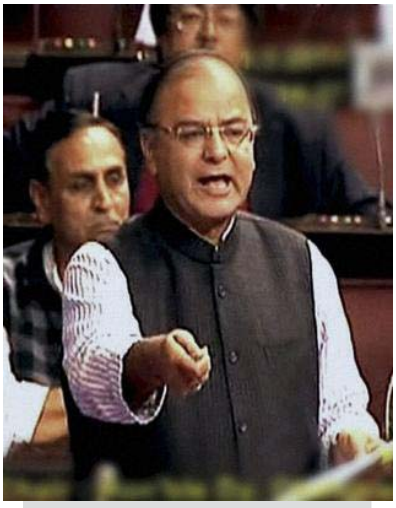

गत 9 अगस्त 2012 को 'असम में सांप्रदायिक हिंसा' के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने असम में हिंसा के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और मांग की कि वह राज्य में घुसपैठ रोकने के लिए अपनी मौजूदा नीतियों को बदले और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। हम यहां उनके भाषण का संपादित अंश प्रकाशित कर रहे हैं:

तब तक असमियों की राष्ट्रीयता और संस्कृति की रक्षा करना संभव नहीं होगा। सिलहट और कछार में बांग्ला बोलने वालों को लेने तथा बंजर भूमि पर लाखों की संख्या में भागकर बंगालियों के बस जाने से असम की विशिष्ट संस्कृति को खतरा पैदा हो रहा है और कई गड़बड़ियां हो रही हैं। इस स्थिति के बारे में स्वर्गीय श्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जोर देकर कहना था कि असम की विशिष्ट संस्कृति और भाषायी पहचान को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की शुरु में यही प्रतिबद्धता थी लेकिन आजादी के बाद पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता को बदल दिया। उसके दो बड़े असमी नेता जो केन्द्रीय मंत्री बने, उन्होंने एक वैकल्पिक सोच की वकालत की। इस सोच के तहत पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया जिससे कि असम की आबादी के लिहाज से भौगोलिक स्थिति को बदला जा सके। 1971 से पहले की इस अवसरवादी नीति ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं, आबादी के लिहाज से भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन और असम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सामरिक महत्व वाले इलाकों में अतिक्रमण की अनदेखी की।

जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक ''मिथ्स ऑफ इंडीपेंडेंस'' में भारत के खिलाफ एक हजार वर्ष तक लड़ाई लड़ने का संकल्प करते हुए लिखा था, ''यह गलत होगा कि कश्मीर एकमात्र ऐसा विवाद है जो भारत और पाकिस्तान को बांटता है हांलाकि निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ कश्मीर की तरह असम और पूर्वी पाकिस्तान से जुड़े भारत के कुछ जिले भी महत्वपूर्ण हैं। इसको लेकर पाकिस्तान का अच्छा दावा बनता है।''

यही नहीं भारत का समर्थन करने वाले शेख मुजीबुर्रहमान जैसे नेता ने भी अपनी पुस्तक ''ईस्टर्न पाकिस्तान-इट्स पोपुलेशन इकनॉमिक्स'' में जोर देकर लिखा था, ''पूर्वी पाकिस्तान को अपने विस्तार के लिए जरुरी जमीन चाहिए और क्योंकि असम के पास घने जंगल, खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं। पूर्वी पाकिस्तान को खुद को आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए असम को शामिल कर लेना चाहिए।''

अपनी सेना के बल पर भारतीय क्षेत्र में कब्जा करना संभव नहीं था। इसलिए घुसपैठ के जरिये कब्जा करना उसकी वैकल्पिक रणनीति रही है। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए अपना वोट बैंक बनाए रखने और पड़ोसी के लिए अपना हित साधने में मददगार रही है। लाखों घुसपैठियों द्वारा चुपचाप भारत का अतिक्रमण कर लिया गया। अब कांग्रेस पार्टी अपनी वैकल्पिक रणनीति के तहत यह परिस्थिति पैदा करने में लगी हुई है कि घुसपैठियों का पता लगाना, उनकी पहचान करना और उन्हें वापस भेजना न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है। विपरीत कानूनी अड़चनें पैदा कर दी गई हैं, दुनिया के अत्यधिक उदारवादी और प्रामाणिक लेखक लॉर्ड डेनिंग्स ने अपनी पुस्तक 'द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ' में 'एंट्रेंस एंड एक्जिट' शीर्षक से भाग 5 की भूमिका में ऐसी कानूनी अड़चनों का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि हाल के वर्षों में इंग्लैंड पर दुश्मनों ने नहीं बल्कि दोस्तों ने आक्रमण किया है जो इंग्लैंड को स्वर्ग समझते हैं। उनके अपने देश में गरीबी, बीमारी और रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इंग्लैंड में सामाजिक सुरक्षा है-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और बिना भुगतान और उसके लिए कुछ किये बगैर आवास की गारंटी है। एक बार जो यहां आ जाता है वह अपने रिश्तेदारों को भी लाना चाहता है। इस तरह उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है।''

षड्यंत्र जारी

उच्चतम न्यायालय ने आईएमडीटी अधिनियम को निरस्त करते हुए 12-7-2005 को अपने फैसले में कहा था कि यह भारत में गुपचुप घुसपैठ कराने को बढ़ावा देने जैसा है। सरकार को विदेशी कानून के आधार पर विदेशियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने विदेशी कानून के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाय अब विदेशी कानून के नियमों में ही परिवर्तन कर दिया है। इस नियम के तहत वही धोखाधड़ी की गई है जो आईएमडीटी कानून में थी। नियमों के तहत असम में कथित विदेशी को अपने अवैध प्रवास को साबित करने के बजाय सरकार को उसके विदेशी होने को साबित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 5-12-2006 को अपने फैसले में इस नियम को इस कानून के अधिकार के बाहर बताया था। इस स्थिति को समझने के बजाय सरकार निरंतर दूसरे उपाय करने में लगी हुई है।

सुरक्षा पर असर

भारत-बांग्लादेश सीमा की 676.47 किलोमीटर की सीमा पर आज भी बाड़ नहीं लगाई गई है। आम के सीमावर्ती जिलों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। 27 में से 11 जिलों में रहने वाले ऐसे लोग बहुसंख्यक हो गए हैं जिन्होंने अवैध रुप से घुसपैठ की है। मैं इस संबंध में असम के जातीय अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। डुबरी और कोकराझार जैसे जिलों में इसका काफी असर पड़ा है। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित डुबरी में 70 प्रतिशत से अधिक अवैध घुसपैठिए हैं। 2011 की जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी नहीं किये गए हैं। यह संख्या 80 फीसदी से ज्यादा हो सकती है। क्या इस जिले के लिए यह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक नहीं है? यह इलाके जो चिकन नैक से सटे हैं और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

सरकार का दृष्टिकोण

सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह से निराशावादी है। सरकार इसे एम सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या मान रही है। सभी सरकारी टिप्पणियां यही दर्शाती हैं। मंत्री को अपना दृष्टिकोण साफ करना है।

कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियां बदलनी होंगी। उसे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अवैध घुसपैठियों को लाने की जरुरत नहीं होनी चाहिए। इसकी कीमत असम की जनता और भारत चुका रहा है। यह संकट कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह सिर्फ असमियों की समस्या नहीं है। यह असम में घुसपैठ करने की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। राहत शिविरों को चलाने के लिए कुछ दिन सेना बुलाने से समस्या का हल नहीं होगा। सरकार को इस अवैध घुसपैठ को रोकना होगा। पूरी सीमा पर बाड़ लगानी होनी और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा।

भाजपा कांग्रेस को हराने के लिये कृतसंकल्प है उसका नेता चाहे कोई भी हो: सतपाल सत्ती

श्री सत्तपाल सिंह सत्ती अब तक के हिमाचल भाजपा अध्यक्षों में सब से युवा हैं। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति में पदार्पण कर लिया था। स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमफिल भी की है। वह कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। पहले वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य सचिव बने और बाद में 1994-97 में राष्ट्रीय मन्त्री भी रहे। वह 2003 में प्रथम बार हिमाचल विधान सभा के लिये चुने गये थे और 2007 में जीत हासिल कर वह विधान सभा में दूसरी पारी खेल रहे हैं। वह भाजपा मन्त्रिमण्डल में मुख्य संसदीय सचिव पद पर कार्यरत थे जब संगठन के आदेश पर उन्होंने यह पद त्याग कर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाजपा की सेवा करने का प्रण लिया। चुनाव पूर्व के समय में उनके लिये यह कार्यभार प्रदेश में बहुत चुनौतीपूर्ण है। स्पष्टवादी व अपनी बात के पक्के श्री सत्ती इस बात पर साफ हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है उनका अध्याय अब बन्द हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस में चल रही कलह पर कोई टिप्पणी किये बगैर वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस को परास्त करना है और धूमल सरकार को पुन: सत्ता में लाना है, कांग्रेस का नेता कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अम्बा चरण वशिष्ठ *ने पिछले दिनों श्री सत्ती से उनके शिमला स्थित कार्यालय में बातचीत की। प्रस्तुत हैं उनसे साक्षात्कार के प्रमुख अंश:*

सब से कम उम्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आप भाजपा में क्या विशेष अन्तर ला पाये हैं?

मैं अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति पर अपार विश्वास जता कर मेरे कंधे पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। अपने तौर पर मैंने पार्टी में तरूणवत्ता पैदा करने का प्रयास किया है। मैंने संगठन में एकता और ध्येयबद्धता पर बल देने का प्रयास किया है। काफी हद तक मेरा यह प्रयास सफल भी रहा है। मैंने पार्टी को आने वाले चुनावों के लिये चुस्त-दुरूस्त करने के लिये काफी कदम उठाये हैं। मैंने स्वयं इस ओर काफी परिश्रम कर औरों को भी ऐसा करने के लिये प्रेरित करने का प्रयास किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे कार्यकर्ताओं की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरने व अपने नेताओं की नजरों में खरा उतरने की शक्ति प्रदान करें।

पिछले लगभग छ: मास से जब से आप अध्यक्ष बने हैं आपकी प्रमुख सफलतायें क्या रही हैं?

यह तो मैं क्या कहूं। यह आंकलन तो मेरे नेता या कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि आज पार्टी आने वाली चुनौतियों से लोहा लेने के लिये पहले से कहीं अधिक सशक्त एवं एकजुट है। मेरे विचार में पार्टी में असन्तुष्ट भावना या मतभेद वाली बात तो कभी थी ही नहीं। यदि कुछ था तो वह केवल इस बात पर कि पार्टी पुन: सत्ता में आये इसके लिये क्या करना या क्या नहीं करना चाहिये। सभी का ध्येय एक था कांग्रेस को हराना और भाजपा को जिताना। मुझे खुशी है कि अब सभी नेता व कार्यकर्ता तन-मन से पार्टी के ध्येय

नारे ''कहो मन से, भाजपा फिर से'' और ''कहो दिल से, धूमल फिर से'' को क्रियान्वित करने में जुट गये हैं।

पिछले कुछ मास में मैंने पार्टी के लम्बित पड़े कार्यक्रमों व योजनाओं को गति दी है। मैंने प्रदेश के लगभग सभी जिलों व मण्डलों का भ्रमण कर लिया है और पार्टी की चुनाव के लिये तैयारी जायजा ले लिया है। मैंने उन्हें आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये तैयार किया है। मुझे प्रसन्नता है कि भाजपा का कार्यकर्ता प्रदेश में किसी भी समय चुनाव का सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार बैठा है।

1977 के बाद प्रदेश में यह धारणा बन गई थी कि प्रदेश में बारी-बारी एक बार भाजपा और दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में आयेगी। कांग्रेस की कुर्सी पर निगाहें इसी मिथ पर आधारित हैं। आप का क्या कहना है?

यह गलत धारणा है और इस बार यह टूटने जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा शासित प्रदेशों में अपनी उपलब्धियों, विकास व सुशासन के दम पर भाजपा दोबारा सत्ता में आ चुकी है। इस मिथ को तोड़ कर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में भी भाजपा-अकाली दल की सरकार अभी हाल ही में दोबारा सत्ता में आई है। इस बार हम हिमाचल में भी इस मिथ को झूठा बनाने जा रहे हैं और भाजपा पुनः सत्ता में आयेगी, यह निश्चित है।

जनता भाजपा को पुनः सत्ता में क्यों लायेगी?

यह मैं नहीं प्रदेश की जनता कह रही है। यह इसलिये कि प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस गति से जितना विकास प्रदेश में पिछले पांच वर्ष में करवाया है इतना कभी कोई कांग्रेस सरकार भी न करवा पाई जबकि तब केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा सरकार ने प्रदेश के हितों को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जिस कारण केन्द्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के होते हुये भी वह केन्द्र से प्रदेश के लिये बहुत कुछ करवाने में सफल रही। इस अवधि में प्रदेश में अनेक केन्द्रीय संस्थान व योजनाएं चालू करवाई जा सकी हैं। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकारें केन्द्र में अपनी ही कांग्रेस सरकारों से प्रदेश का हित सुरक्षित कर पाने में असफल रही थीं। केन्द्र सरकार ने प्रदेश की भाजपा सरकार की अनेक उपलब्धियों के लिये सराहा है। अनेक केन्द्रीय कार्यक्रमों जैसे 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हिमाचल देश की सरकार अनेक कांग्रेस सरकारों से आगे रही है। हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), प्रति व्यक्ति आय, औसत विकास दर आदि राष्ट्रीय स्तर से कहीं अधिक रही है। आम आदमी को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिये भाजपा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त रख कर अनेक आवश्यक वस्तुओं पर सबसिडी दे कर राहत दी है। सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों में पिछले पांच वर्ष में राष्ट्रीय स्तर के 68 पुरस्कार अर्जित किये हैं।

भाजपा सरकार ने 2007 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये सभी वादे पूरे कर बहुत सी और उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो इन वादों से अतिरिक्त हैं। इससे जनता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है कि भाजपा वादे ही नहीं करती है, उन्हें पूरा भी करती है। प्रदेश का कोई कोना विकास की गति से अछूता नहीं रहा है और प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस को भाजपा सरकार ने किसी न किसी तरह किसी न किसी रूप में कोई सहायता न पहुंचाई हो या मदद न की हो।

इस कारण प्रदेश का हर वर्ग धूमल सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित हुआ है।

भाजपा की प्रमुख विरोधी पार्टी हिमाचल कांग्रेस में इस समय जबरदस्त घमासान चल रहा है। आप इसे किस प्रकार देखते हैं?

कांग्रेस में जो भी चल रहा है वह उस पार्टी का अपना अन्दरूनी मामला है। इससे भाजपा को कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मुझे तो बस इतना पता है कि भाजपा को प्रमुख चुनौती कांग्रेस की ओर से है और भाजपा ने कांग्रेस को हर सूरत में हराना है। उसका नेता कौन है, इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं है।

हिमाचल के एक न्यायालय ने श्री वीरभद्र सिंह व उनकी धर्मपत्नी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का एक आपराधिक मामला तय किया है। आप क्या कहना चाहेंगे?

यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। यह अलग बात है कि श्री वीरभद्र सिंह व कांग्रेस इसे राजनैतिक रंग देकर राजनैतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने उन पर आपराधिक मामला तय किया है। वह प्रदेश के प्रथम पूर्व मुख्यमन्त्री है जिन पर भ्रष्टाचार का मामला अदालत में तय हुआ है। अब मामला क्योंकि न्यायालय के विचाराधीन है तो कानून स्वयं अपना रास्ता तय करेगा। इस मामले में कुछ दम था तभी तो प्रधान मन्त्री

ने भी उनका त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार कर लिया। त्यागपत्र से पूर्व श्री वीरभद्र सिंह श्रीमती सोनिया गांधी से भी मिले थे।

पर वीरभद्र सिंह व कांग्रेस भाजपा और श्री धूमल पर राजनैतिक दुर्भावना का आरोप मढ़ रहे हैं।

यह तो उनकी राजनैतिक चाल है। वह इसका राजनैतिक व चुनावी लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा और मुख्य मन्त्री का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है। यह सीडी 2007 में जारी हुई थी जब श्री वीरभद्र सिंह स्वयं मुख्य मन्त्री थे। इस सीडी को भाजपा ने नहीं बल्कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जारी किया था जो श्री सिंह के मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मन्त्री रह चुके हैं और एक समय उनके घनिष्टतम सहयोगियों में थे। भाजपा सरकार तो बस श्री वीरभद्र सिंह को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका मुहैया करवा रही है।

भाजपा के विधान सभा प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी? चयन के मापदण्ड क्या होंगे?

भाजपा में यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। पार्टी ने वर्तमान विधायकों, मन्त्रियों व पिछले चुनाव में खड़े उन प्रत्याशियों के कामकाज का आकलन कर लिया है। सारे मामले पर पहले राज्य चुनाव समिति विचार करेगी और उसके बाद अन्तिम निर्णय भाजपा का केन्द्रीय संसदीय बोर्ड करेगा।

चयन का मापदण्ड तो यही होगा कि प्रत्याशी ने किस प्रकार पार्टी की सेवा की है, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा, उसका जनता में जनाधार, स्वच्छ छवि और उसके जीतने की क्षमता व सम्भावना।

क्या पार्टी वर्तमान विधायकों या पूर्व विधायकों में कुछ बदलाव भी कर सकती है?

अवश्य। कुछ बदलाव हो सकता है। विधान सभा क्षेत्रों के पुनर्सीमन के प्रभाव को भी आंका जायेगा। जो विधायक व प्रत्याशी जनता की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे हैं, उनके मामले में पुनर्विचार हो सकता है।

भाजपा को इस चुनाव में सब से सशक्त रामबाण क्या है?

हर मापदण्ड से भाजपा सरकार का सर्वोत्तम प्रदर्शन, प्रदेश का अभूतपूर्व विकास, जनता का विश्वास व भरोसा, यूपीए-2 के कार्यकाल में अभूतपूर्व शर्मनाक घोटाले व भ्रष्टाचार, केन्द्र में सब से निकम्मी व निठल्ली सरकार, जनता की कमरतोड़ बेलगाम महंगाई व मुद्रास्फीति और देश को अन्दरूनी और बाहरी तत्वों से खतरा।

चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक कौन-कौन होंगे?

मुख्यत: हमारे प्रमुख चुनाव प्रचारक तो श्री शान्ता कुमार व मुख्य मन्त्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल होंगे। केन्द्र से हमारे स्टार प्रचारकों की लम्बी कतार है जिसके प्रमुख हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी होंगे, जो व्यापक प्रचार करेंगे। ज्यों-ज्यों प्रचार जोर पकड़ेगा और जैसे-जैसे विभिन्न स्थानों से मांग आयेगी उसके अनुसार हमारे अन्य गणमान्य नेता भी प्रचार करेंगे।

पार्टी में आप कहां तक नवरक्त का संचार करेंगे?

पार्टी नवरक्त का संचार करने में सदा तत्पर रहती है। इस बार भी करेगी जहां तक सम्भव हो सकेगा।

क्या युवाओं व महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा?

अवश्य। जहां भी युवा व महिला प्रत्याशियों के जीतने की सम्भावना होगी, वहां उन्हें अवश्य उतारा जायेगा।

जिन भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ नया दल बना लिया है उनके प्रति आपका क्या विचार है?

जहां तक भाजपा का सम्बन्ध है यह अध्याय अब समाप्त हो चुका है।

प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं?

तथाकथित तीसरा मोर्चा कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश में यदि टकराव है तो बस भाजपा और कांग्रेस के बीच। तीसरा मोर्चा प्रदेश में कभी भी पनप नहीं सका है। कभी कोई इक्का-दुक्का व्यक्ति जीत भी सका है तो बाद में वह या तो भाजपा में शामिल हो गया है या कांग्रेस में। अगले चुनाव तक उस मोर्चे का नामोनिशान ही समाप्त हो जाता है। यह सब इतिहास है। ■

गंगा अभियान समिति घोषित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के निर्देशानुसार गंगा अभियान की दृष्टि से केन्द्र की तरफ से निम्न समूह कार्य करेगा।

1. सुश्री उमा भारती (संयोजक)
2. श्री भगतसिंह कोश्यारी
3. श्री विजय गोयल
4. श्री मुरलीधर राव
5. श्री शहनवाज हुसैन
6. श्री अनिल माधव दवे
7. श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी
8. श्री सरयूराय
9. श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह
10. श्री अमिताभ सिन्हा
11. श्री विजय जौली
12. श्री श्रीराम बेंदरे

यह कैसी राष्ट्रीयता?

-संजीव कुमार सिन्हा

बस लेख के साथ प्रस्तुत चित्र को देखिए। असम संघर्ष और म्यांमार में अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में रजा अकादमी द्वारा मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी शहीदों की स्मृति में बनी 'अमर जवान ज्योति' को तोड़ रहा है। क्या इस दृश्य को देखकर आपका मन आक्रोशित नहीं हो उठा? अवश्य आपके मन में गुस्सा उबल रहा होगा। हर राष्ट्रवादी के यही हाल होंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रदायिकता का महारोग हमारे देश को खोखला करने पर आमादा है। यह देश के माथे पर कलंक है। मजहब के नाम पर लोग आज भी एक-दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। दंगे करते हैं। लूट-पाट करते हैं। आगजनी करते हैं। बलात्कार करते हैं।

विगत जुलाई एवं अगस्त माह में असम के कोकराझार और अन्य बोडो क्षेत्रों में स्थानीय बोडो जनजाति और बंगलादेशी घुसपैठियों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष ने विकराल हिंसा का रूप धारण कर लिया। बीस जुलाई से शुरू हुई इस हिंसा में, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे प्रभावित 400 गांवों के चार लाख लोग 270 राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहीं, पड़ोसी देश म्यांमार में गत जून माह से साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए, जिसमें अब तक 83 लोग मारे जा चुके हैं और 80 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।

आज यक्ष प्रश्न यह है कि भारत कैसे मजबूत होगा, जब राष्ट्रीयता को ठेंगा दिखाकर मजहब को ही सर्वोपरि मान लिया जाएगा? राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब वह हर देशवासी के लिए सर्वप्रिय और सर्वोपरि होगा।

असम और म्यांमार में हिंसा की जो आग धधकी, उसकी लपटों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत अनेक राज्य झुलस उठे। एक समुदाय के कुछ दिग्भ्रमित लोगों ने जिस तरीके से इस पूरे परिदृश्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह शर्मनाक तो है ही, साथ ही इसने हर देशवासी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए। शहीदों की याद में स्थापित अमर जवान स्मारक को तोड़ डाला गया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके कपड़े फाड़ डाले गए। सरकारी भवनों को क्षतिग्रस्त किया गया। बसों में आग लगा दी गई। बेतहाशा ईंट-पत्थर बरसाए गए और लूटपाट की गई। इस सबके चलते अन्य राज्यों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोग हमले होने के डर से भयाक्रांत हैं।

दृश्य क्र. 1 : मुम्बई

गत 11 अगस्त को यहां असम हिंसा और म्यांमार में अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में रजा अकादमी ने आजाद मैदान में प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें जमाएत-उल-उलेमा एवं जमात रजा-ए- मुस्तफा जैसे कई संगठन शामिल थे। यहां लगभग 50,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने चैनलों की ओबी वैन के पास जाकर उसमें बैठे तकनीशियनों को नीचे उतरने को कहा। इसके बाद उन्होंने तीन ओबी वैन में आग लगा दी। इस दौरान बेस्ट की करीब 40 बसें क्षतिग्रस्त कर दी गईं। तीन पुलिस वैन एवं पांच दुपहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन के लिए जुटी भीड़ हिंसक हो उठी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज एवं आंसू

गैस के अलावा कुछ चक्र गोलियां भी चलानी पड़ी। इस संघर्ष में दो लोग मारे गए एवं 52 लोग घायल हुए। इनमें 44 पुलिसकर्मी शामिल हैं।

दृश्य क्र. 2 : पूणे

पूणे में पूर्वोत्तर के छात्रों पर हिंसक हमले हुए, जिसके बाद सैंकड़ों छात्र पलायन करने पर विवश हो गये।

दृश्य क्र. 3 लखनऊ

गत 17 अगस्त को लखनऊ में दोपहर बाद टीलेवाली मस्जिद व आसफी इमामबाड़े में अलविदा की नमाज के बाद हजारों लोगों ने विधानभवन की

ओर कूच कर दिया और वहां तोड़-फोड़ की। बुद्ध पार्क घूमने गई महिलाओं को घेरकर उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इस दौरान कई गाड़ियां तोड़ी गई। पार्क में लगी गौतम बुद्ध की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। इसके बाद उपद्रवी कन्वेंशन सेंटर मोड़ पहुंचे और बसों व गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने खदेड़ा तो वे हाथी पार्क में कूद गए और तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई और उन पर पथराव किया गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों से भी मारपीट की गई और उनके कैमरे तोड़ दिए गए।

दृश्य क्र. 4 : कानपुर

गत 17 अगस्त को कानपुर में यतीमखाना स्थित नानपारा मस्जिद में नमाज के बाद असम हिंसा पर भड़काऊ भाषण शुरू हो गए। इसके बाद भीड़ नारे लगाते नवीन मार्केट की ओर बढ़ने लगी और पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए। दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

दृश्य क्र. 5 : इलाहाबाद

इलाहाबाद में नमाज के बाद जुलूस निकाल रहे कुछ लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वे उग्र हो गए। जुलूस में शामिल युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। उपद्रवियों ने घंटाघर से लेकर जानसेनगंज तक जमकर तोड़फोड़ की, जिससे सड़क किनारे खड़े 200 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

दृश्य क्र. 6 : बेंगलूर

बेंगलूर में भी भय और दहशत का माहौल कायम कर दिया गया। यहां चार हजार से अधिक पूर्वोत्तर के रहने वाले लोग अपने घरों को वापस लौट चुके हैं।

दृश्य क्र. 7 : हैदराबाद

हैदराबाद में एक बोडो सुरक्षाकर्मी को लोगों ने सरेआम पीट डाला तो उसके कारण उत्पन्न भय की वजह से हैदराबाद से 2000 लोग असम के लिए रवाना हो गये।

यहां प्रश्न उठता है कि राष्ट्र और मजहब क्या है? इसके बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए? राष्ट्र बनता है उस विशिष्ट भू-प्रदेश में रहने वाले जन से और राष्ट्र की आधारभूत शक्ति लोगों की भावना है। जबकि मजहब व्यक्तिगत आस्था की चीज है। उपरोक्त तमाम विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक समुदाय के कुछ दिग्भ्रमित लोगों ने जिसे तरीके का रवैय्या अपनाया, उससे लगता है वे अभी भी विभाजन पूर्व वाली मानसिकता में जी रहे हैं, जिसके चलते देश टुकड़ों में बंटा। देश इसलिए बंटा कि कुछ सिरफिरे लोगों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मजहब राष्ट्रीयता का आधार है। आखिर कुछ लोग यह मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते कि दूसरे देश से आया हुआ कोई व्यक्ति किसी मजहब विशेष का नहीं होता, वह केवल विदेशी है? विरोध-प्रदर्शन का वाजिब आधार होना चाहिए और यह शांतिपूर्ण होना चाहिए। बंगलादेश घुसैपठियों के पक्ष में प्रदर्शन करना निश्चित रूप से राष्ट्रविरोधी कदम है। म्यांमार में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के विरोध में राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता।

इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस का रवैया भी दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, शर्मनाक भी है। वोट बैंक की राजनीति के चलते उसने चुप्पी साधी हुई है। वोट की खातिर उसने राष्ट्र को दांव पर लगा दिया है। असम व महाराष्ट्र तथा केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार बेबस होकर तमाशबीन बनी हुई है।

आज यक्ष प्रश्न यह है कि भारत कैसे मजबूत होगा, जब राष्ट्रीयता को ठेंगा दिखाकर मजहब को ही सर्वोपरि मान लिया जाएगा? राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब वह हर देशवासी के लिए सर्वप्रिय और सर्वोपरि होगा। ■

पाकिस्तानी हिन्दुओं का अस्तित्व विनाश की राह पर

✍ राम प्रसाद त्रिपाठी

पाकिस्तान में थोड़े बहुत बचे हिन्दुओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और वे वहां भयाक्रांत होकर रह रहे जिसके कारण अब उन्हें अपने देश पाकिस्तान से अपना घर-बार छोड़कर भारत में आने को विवश कर दिया है। पाकिस्तान में निजी रूप से संचालित मानवाधिकार आयोग रिपोर्टों से पता चलता है कि हिन्दु देश में भय के साए में जी रहे हैं और ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि हिन्दु समुदाय के लोगों को निरंतर अपहरण हो रहा है। हजारों अल्पसंख्यक हिन्दु परिवार मजहबी यातनाओं, लूट-मार और हिंसा के कारण उनकी जीना दुश्वार हो गया है, जिसके कारण पाकिस्तान से भागना पड़ रहा है और इस प्रकार यह पाकिस्तान में मानव-संकट का रूप ले चुका है। 2011 में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुल 7000 पाकिस्तानी भारत आए और इनमें से लगभग 1100-1200 लोगों ने पाकिस्तान वापस जाना मुनासिब नहीं समझा और वे भारत में ही रह गए। केवल पिछले महीने ही 200 से अधिक पाकिस्तानी हिन्दु पाकिस्तान में मिली घोर पीड़ाओं से छुटकारा पाने के लिए भारत पहुंचे और हजारों ऐसे लोग सीमा पार कर भारत आने का इंतजार कर रहे हैं।

आज सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर क्यों इन अल्पसंख्यक हिन्दुओं को अपने देश से भागना पड़ा है? कुछ लोगों ने पाकिस्तान में इस विषय पर

पाकिस्तान में हिन्दु-विरोधी भावनाएं और नफरत कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में यह बात हिन्दुओं के खिलाफ आम रहती ही है। उन्हें 'काफिर' माना जाता है और उन पर पाकिस्तान में हर तरह की समस्या खड़ी करने के आरोप लगते रहते हैं।

अपने मुंह बंद करने पर मजबूर हो गए हैं तो कुछ लोगों ने खुलकर यातनाओं से भयभीत, हत्याओं, अपहरणों, बलात्कारों और जबर्दस्ती धर्मांतरण जैसी वारदातों की बात की है। सिंध और बलुचिस्तान जैसे विभिन्न प्रांतों में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के अपहरण और जबरदस्ती धर्मांतरण एवं उनकी मर्जी के खिलाफ निकाह करने की बातें वहां आम हो चुकी हैं। मीडिया में निरंतर ऐसी रिपोर्टें छपती रहती है कि बलुचिस्तान में हिन्दु व्यापारियों का अपहरण होता है, हिन्दुओं को यातनाएं देने और डराने धमकाने की वारदातें भी सामने आती रहती है और टीवी पर हिन्दुओं के धर्मांतरण को भी दिखाया जाता है और यह सब कुछ ठीक पुलिस और प्रशासन की नाक तले किया जाता है। पाकिस्तान मीडिया ने भी इन रिपोर्टों का खण्डन नहीं किया है। 'न्यूज इंटरनेशनल' में हाल में प्रकाशित एक सम्पादकीय में कहा गया है कि ''हम इस बात से इंकार नही कर सकते हैं कि ''पिछले कुछ दशकों में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिन्दुओं पर जुल्म ढाए गए हैं।'' इस अखबार ने आगे लिखा है कि ''सिंध और बलुचिस्तान दोनों प्रांतों में हिन्दुओं को हाल के वर्षों में जितना अधिक अपहरण, यातनाओं तथा अन्य प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा है, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। परिणामतः, सचमुच बहुत से लोगों को भगाना पड़ा। हमारे लिए आवश्यक है कि ''हम सभी अल्पसंख्यकों के लिए अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करें और सुनिश्चित करें कि उनमें देश के समान नागरिक होने का अहसास पैदा हो सके।''

पाकिस्तान में हिन्दु-विरोधी भावनाएं और नफरत कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में यह बात हिन्दुओं के खिलाफ आम रहती ही है। उन्हें 'काफिर' माना जाता है और उन पर पाकिस्तान में हर तरह की समस्या खड़ी करने के आरोप लगते रहते हैं। पाकिस्तान के कट्टरवादी ग्रुपों ने खुल्लम-खुल्ला हिन्दु-विरोधी प्रचार का प्रसारण और प्रचार-प्रसार यह कहते हुए किया है कि हिन्दु 'हनूद' हैं और वे विदेशियों के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों के खिलाफ काम करते हैं। मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) जैसे संगठन पाकिस्तान में इस्लामी राजनैतिक पार्टियों का गठबंधन है जिसका मानना है कि सरकार और समाज के

इस्लामीकरण में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसमें वे विशेष रूप से हिन्दु-विरोधी बात को अधिक महत्व देना चाहते हैं। हिन्दु-विरोधी भावनाओं को और भी बढ़ाने में पाकिस्तान के पब्लिक स्कूलों की पाठ्यचर्या को इस्लामीकृत बनाया गया है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत पहले 1970-80 के दशकों में शुरू की गई थी, परन्तु इस्लामी कट्टरवादियों ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान में जितनी नफरत फैलाई है, उतनी इससे पहले कभी नहीं फैलाई।

अगस्त 1947 में, ब्रिटिश राज के अंत में, आज की तुलना में पाकिस्तान में हिन्दुओं का प्रतिशत 15 या इससे ज्यादा होगा परन्तु स्वतंत्रता के बाद यह प्रतिशत बुरी तरह से गिर कर आज केवल 3 प्रतिशत रह गया है। 1998 की पाकिस्तान जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की कुल आबादी में हिन्दुओं की आबादी लगभग 1.6 प्रतिशत रह गई है और सिंध प्रांत में यह 6.6 प्रतिशत है।

हालांकि पाकिस्तान के हर क्षेत्र में हिन्दु-विरोधी मानसिकता प्रारम्भ से ही मौजुद रही है परन्तु हाल के वर्षों में इसका रूप अत्यंत भयावना हो गया है। 2010 में 'डॉन' अखबार ने रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए लिखा था कि ओरकजाई एजेंसी में लगभग 25 प्रतिशत सिखों को अपना घरबार छोड़ कर भागने को मजबूर किया गया था। इसमें कहा गया है कि ओरकजाई एजेंसी में लगभग 102 सिख परिवारों के 25 प्रतिशत परिवारों को उस समय अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था जब तालिबान ने उनसे 'जजिया' देने या इस क्षेत्र से जाने को कहा था। इसमें यह भी कहा गया है कि कम से कम 27 हिन्दु परिवारों को सुरक्षा के खतरों के कारण भारत में पनाह लेनी पड़ी थी।

जुलाई 2010 में एक और घटना में अल्पसंख्यक हिन्दु समुदाय के 60 सदस्यों पर हमला बोला गया और कराची में एक इस्लामी मस्जिद से किसी हिन्दु द्वारा नल से पानी पीने की घटना को लेकर उनका यहां से सफाया कर दिया था। 2010 में पाकिस्तान के मानवाधिकार कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि ''पाकिस्तान में हर महीने कम से कम 25 हिन्दु लड़कियों का अपहरण किया जाता है।''

हिन्दुओं के खिलाफ इस प्रकार की यातनाओं की गाथाएं अत्यंत क्रूर और भयाक्रांत हैं। 26 मार्च 2012 को सिंध के एक गांव की 19 वर्षीय लड़की रिंकल कुमारी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मौहम्मद से कहा था कि उसका अपहरण नवीद शाह के एक आदमी ने किया और सर्वोच्च न्यायालय से अपील की कि उसे अपनी मां के पास जाने दिया जाए। यह एक साहसिक अपील थी और इससे पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खुल गई। रिंकल ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की परन्तु उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। घोटकी गांव में उनके माता-पिता को धमकी मिली, उसके घर के पास बन्दूक लेकर घूमते हुए गुंडों ने 70 वर्षीय दादा को दिन-दहाड़े गोली मार दी। जब वह 18 अप्रैल को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उसने खामोशी से कहा कि 'उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है।'' और इस प्रकार का मामला कोई अपने किस्म का पहला मामला नहीं है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक हर महीने न केवल सिंध में औसतन 25 लड़कियों का रिंकल जैसा हाल नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले 90 प्रतिशत हिन्दुओं के घरों में नौजवान हिन्दू लड़कियों का अपहरण, जबरन बलात्कार और उनकी मर्जी के खिलाफ धर्मांतरण किया जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय लाचार बना रहता है क्योंकि न तो उनकी संख्या अधिकार होती है और न ही कोई राजनैतिक आश्रय प्राप्त होता है। रिंकल कुमारी जैसी दयनीय कहानियां एक नहीं, अनेक हैं।

एक और वारदात में, 21 जनवरी 2011 को 55 वर्षीय मेहरचंद एक पाकिस्तानी शिष्टमण्डल के साथ दिल्ली आया। चांद पाकिस्तान नहीं लौटा। उसकी कहानी तो और भी दयनीय है। 2009 में कराची में कैंसर से पीड़ित उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मीडिया के साथ बातचीत में उसने कहा- ''एक सुबह, उस समय उसकी 16 वर्षीय पुत्री लापता थी। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वह उससे कहीं अधिक उम्र वाले व्यक्ति के साथ भाग गई, जो एक गुण्डा था। रातोंरात उसका धर्मांतरण हो गया। कुछ बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद वह उससे मिला। वह रो उठी और मुझसे बिना एक शब्द कहे चिपट गई। मैं कभी नहीं मान सकता कि वह भाग गई थी। मैं अपनी पुत्री के लिए लड़ना चाहता था। अपहरणकर्ताओं की अपनी फौज थी और उन्होंने मुझे धमकी दी। यहां तक कि पुलिस वालों ने भी जरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया।'' ऐसे बहुत से चांद हैं जो अपनी पुत्रियों की सुरक्षा की खातिर पाकिस्तान से भागने का इंतजार कर रहे हैं।

अगस्त 1947 में, ब्रिटिश राज के अंत में, आज की तुलना में पाकिस्तान में हिन्दुओं का प्रतिशत 15 या इससे ज्यादा होगा परन्तु स्वतंत्रता के बाद यह प्रतिशत बुरी तरह से गिर कर आज केवल 3 प्रतिशत रह गया है। 1998 की

पाकिस्तान जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की कुल आबादी में हिन्दुओं की आबादी लगभग 1.6 प्रतिशत रह गई है और सिंध प्रांत में यह 6.6 प्रतिशत है। यह बात भी नोट करने लायक है कि पाकिस्तान जनगणना में प्रमुख हिन्दु समुदाय से हिन्दू अनुसूचित जातियों की गणना अलग से की जाती है जो राष्ट्रीय आबादी का 0.25 प्रतिशत है। पाकिस्तान में अनुसूचित जातियों सहित हिन्दुओं की कुल संख्या कहीं अधिक है जो 1998 की जनगणना में दिखाई गई है। अनौपचारिक रिपोर्टों, विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों के अनुसार पाकिस्तान में दलितों की वास्तविक संख्या 5,00,000 की तुलना में 2-3 मिलियन से कहीं अधिक है, जबकि अन्य जाति हिन्दुओं जनगणना में दिखाया गया है। हिन्दू-विरोधी मनसिकता इतनी जबरदस्त है कि प्रशासन भी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की सही संख्या सामने रखने में हिचकिचाते हैं। किन्तु, पाकिस्तान हिन्दु कौंसिल ने सभी पाकिस्तानी लोगों के मुकाबले 5.5 प्रतिशत दी है, जो अब 2012 में 9.9 मिलियन बैठती है। इसमें यह भी बताया है कि बहुत से लोग देश से बाहर चले गए हैं, कुछ अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके अलावा भी बहुत से लोगों को जबरन धर्मांतरण हो गया है। कुछ मामलों में मृत लोगों का पाकिस्तान में समुचित दाह-संस्कार भी नहीं हो सका है। पाकिस्तान में चल रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार, जबरदस्ती लूट-खसोट, हत्याओं और मजहबी अत्याचारों के कारण शेष हिन्दुओं और सिखों को पाकिस्तान से बाहर निकलने को विवश कर रहा है।

पाकिस्तान में बढ़ते धर्मांतरण और भारत के खिलाफ वैरभाव मजहबी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का प्रमुख तत्व है। इस्लामीकरण में मजहबी निंदा के कानून भी शामिल है जिनके कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अपनी बात को स्वतंत्रतापूर्णक कहना भी खतरनाक हो गया है और वे धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। शरिया, कुरान के नियमों के कारण भी हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को अलग-थलग कर दिया है। अभी तक मिल रहे सभी संकेतों से पता चलता है कि आने वाला समय तो और भी बदतर रहेगा। पाकिस्तान में हिंसा तथा भयाक्रांत करने के कारण बुनियादी मानवाधिकार और सहनशीलता पर चलना दुश्वार हो गया है क्योंकि उग्रवादी इनसे और भी अधिक हिंसात्मक बन जाते हैं।

जब भाजपा ने पाकिस्तान में हिन्दुओं, की दुर्दशा पर संसद में प्रश्न उठाया तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ई. अहमद ने 22 मार्च को कहा था- ''सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से यह मामला उठाया है। उसका कहना है कि सरकार सभी नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की देखभाल करती है।'' कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के दावों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि क्योंकि भारत किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसलिए वह पाकिस्तान में हिन्दुओं की तरफ से बात नहीं कर सकता है और उसका मानना है कि यह पाकिस्तान का ''आंतरिक मामला'' है।

पिछले दशकों में भारत आने वाले पाकिस्तानी हिन्दुओं को दीर्घ-कालीन वीजा देना एक सामान्य नियम बन चुका है। भारत की अभी तक बनी कांग्रेसी सरकारों ने बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठियों को आने दिया है और प्रोत्साहित किया है, और सच तो यह है कि उसने अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्हें नागरिकता तक प्रदान कर दी है, इसलिए इन कांग्रेसी सरकारों ने पाकिस्तान में उन हिन्दुओं की दुर्दशा पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं, जो पाकिस्तान में मिल रही धमकियों, आपदाओं तथा कोई भी अन्य विकल्प न रहने के कारण वहां से निकल कर भारत की नागरिकता का आग्रह करते हैं।

दिल्ली के फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन कार्यालय (एफईआरओ) के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 2011 के मध्य तक यह हर महीने लगभग 8-10 परिवारों हुआ करती थी, जो अब बढ़कर अनुमान के अनुसार 400 परिवारों तक पहुंच गई है।

दिल्ली के फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन कार्यालय (एफईआरओ) के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 2011 के मध्य तक यह हर महीने लगभग 8-10 परिवारों हुआ करती थी, जो अब बढ़कर अनुमान के अनुसार 400 परिवारों तक पहुंच गई है। वे राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भारत में बस रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें लगातार निशाना बनाया जाता रहा है, इसलिए और अधिक पाकिस्तानी हिन्दू और सिख अत्याचारों से बचने के लिए भारत आ रहे हैं। अब जबकि इन परिवारों की पुनर्वास की मांग बढ़ती जा रही है तो क्या भारत की सरकार इन लोगों की हताश अपील पर ध्यान देगी? ■

अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से महंगाई चरम पर

✍ विकाश आनंद

सन् 2002 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मिसाईलमैन श्री एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इसलिए नहीं प्रस्तावित किया था कि एक वैज्ञानिक के रूप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वाजपेयी जी ने इसलिए प्रस्तावित किया था क्योंकि कलाम एक सफल वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक सलाहकार का दायित्व काफी अच्छी तरह से निभाई थी और देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न बनाया था। उनकी कहानी सफलता की कहानी है। लेकिन एक व्यक्ति देश को महंगाई की मार से नहीं बचा सका। उसकी आर्थिक नीतियां देश को भूख, भय, गरीबी को बढ़ाने में जिम्मेदार थी। उस व्यक्ति को पदोन्नति देकर राष्ट्रपति बना दिया गया। प्रणब मुखर्जी की आर्थिक नीतियों से निवेश को काफी झटका लगा है। उनकी नीतियां एक बार फिर से लाइसेंस राज्य की याद को ताजा कर दिया। कांग्रेस-नीत संप्रग जब से सत्ता में आई है किसी भी तरह के सुधार में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आज देश के जो आर्थिक हालात हैं उससे यह पता चलता है कि देश नेतृत्व संकट से गुजर रहा है।

इन हालातों के लिए वास्तव में कोई दोषी है तो वह मनमोहन सिंह है। जब प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वित्त मंत्रालय से त्यागपत्र दिया तब मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 'एनिमल स्प्रिट' से काम करने का प्रण किया। उनका यह आश्वासन प्रत्येक तिमाही (जब प्रत्येक तीन महीने पर सरकार अपना आर्थिक रिपोर्ट जारी करती है) पर उनके और वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले निर्लज्ज आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। अभी हाल ही में इनके मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने महंगाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा ''दाल, आटा, चावल और सब्जी काफी महंगा हुआ है और यह किसानों के लिए अच्छा है। इस महंगाई से मैं खुश हूं।''

क्या ईंधन, उर्वरक और दूसरे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से किसान प्रभावित नहीं है? यदि समाज का कोई वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है तो वह है किसान। आज भी किसान गरीबी के पर्याय है। बढ़ती महंगाई उनको और अधिक कर्जदार बना रही है। किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। महंगाई बिचौलियों को जरूर फायदा पहुंचा रही है। और इन बिचौलियों के साथ सरकार की मिलीभगत भी जगजाहिर है। आज भी किसान अपने ऋण को चुकाने के लिए फसल कटते ही कम दर पर अपने फसल को बेचने के लिए बाध्य है। बहुत से फसल से तो वे अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाते हैं।

यदि सरकार द्वारा जारी किए गए थोक मूल्य सूचकांक पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि अप्रैल 2004 से अप्रैल 2012 तक महंगाई दुगनी से अधिक हो गई है। क्रिसील, जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान है, के अनुसार महंगाई की प्रतिशत बढ़ोतरी 2004 से 2012 तक 98 से 206.4 प्रतिशत हो गई है। क्रिसील ने 60 वस्तुओं के मूल्यों का विश्लेषण किया। जिसमें इस संस्था ने पाया कि अदरक को छोड़कर सारी खाद्य

वर्ष	मुद्रास्फीति दर (वार्षिक)
1998 (जब भाजपानीत राजग सत्तासीन हुई)	13.24
1999	4.658
2000	3.906
2001	3.671
2002	4.469
2003	3.713
2004 (जब कांग्रेसनीत संप्रग सत्तासीन हुई)	3.891
2005	3.97
2006	6.268
2007	6.373
2008	8.349
2009	10.882
2010	11.989
2011	8.9

(स्रोत : इण्टरनेशनल मॉनिटरी फण्ड)

शेष पृष्ठ 29 पर

डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं : अरुण जेटली

;वाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के 150 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विवेकानंदजी के संदेश विकास व गरीबों के कल्याण को आदर्श मानकर विकास के मार्ग पर चल रहे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये युवा मोर्चा द्वारा 18 अगस्त 2012 को इंदौर स्थित सुपर कॉरिडोर, एयरपोर्ट के पास विवेकानंद संदेश यात्रा मोटर साईकिल महारैली का आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें इंदौर संभाग के हजारों युवा मोटर साईकिल पर सवार होकर रैली के रूप में एकत्रित हुए।

अतिथियों द्वारा पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, पूर्व सांसद श्री विक्रम वर्मा को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता व मार्गदर्शक के रूप में किये गये उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप मोर्चे द्वारा ''स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान'' से सम्मानित किया गया। अतिथियों ने उन्हें शॉल श्रीफल व प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए भाजपा व युवा मोर्चा के मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किया गया।

रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री जेटली ने कहा कि 1993 से 2003 के बीच मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और 2003 के बाद भाजपा को काम करने का अवसर मिला। उस समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा था। खेतों के लिए पानी, गांवों में बिजली नहीं मिलती

थी। उस समय मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहद चिंताजनक थी। परन्तु 9 वर्षों में मध्यप्रदेश देश में विकास की एक नई पहचान बना है। मध्यप्रदेश की विकास दर 10 से 11 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र का बंटाधार किया है। 2-जी स्पेक्ट्रम देश का सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन केन्द्र सरकार ने इस पूरे घोटाले को ए. राजा के ऊपर डाल कर किनारा कर लिया, परंतु कोयला खदान आवंटन के घोटाले ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को दूसरे नंबर पर रख दिया। कोल ब्लाक आवंटन के समय कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था, इसलिए वह इस नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। डॉ.मनमोहन सिंह दोषी है और प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार ने 'युवा संकल्प बाईक रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पूर्ण विकास की ओर अग्रसर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जननायक बनकर उभरे है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार देश को डुबोना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। राजनीति की शुचिता को बरकरार रखने के लिए आज देश के युवाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज में प्रदेश रसातल में गया था। आज प्रदेश की विकास दर 10.2 प्रतिशत हैं वहीं कृषि विकास दर 18 प्रतिशत पर पहुंची है। मध्यप्रदेश को हमनें बीमारू राज्य की छवि मुक्ति दिलाई है।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक प्रदेश में 200 स्किल डेव्लपमेंट केन्द्र

खोले जायेंगे जिसके माध्यम से प्रदेश के 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनायेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्ष में किसानों को लूटा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर लुटाया है। जीरो प्रतिशत ब्याज दर, 100 रू. विशेष बोनस और भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के भंडार भरे है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री प्रभात झा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के इतिहास में युवा मोर्चा नई क्रांति का शंखनाद कर रहा है। युवा संकल्प बाईक रैली इस क्रांति की अगुवाई है। उन्होंने कहा कि 5 संभागों में विवेकानंद संदेश यात्रा और युवा संकल्प बाईक रैली से स्वामी जी के विचार और मध्यप्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना गांव-गांव पहुंची है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद श्री अनुराग ठाकुर ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल में देश ने जो तरक्की और विकास किया था उसे मनमोहन सरकार ने बर्बाद कर दिया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती ने विवेकानंद संदेश यात्रा व मध्यप्रदेश के 8 संभागों में होने वाली बाईक रैली के संदर्भ में जानकारी देते हुए ऐतिहासिक रैली में कार्यकर्ताओं का आभार माना। अंत में युवाओं को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद संदेश संकल्प दिलवाया। ■

पृष्ठ 27 का शेष...

पदार्थों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। केवल 8 उत्पादों- अमरूद, नारियल, लहसून, प्याज, हल्दी, चायपत्ती, चिकन पर 63 प्रतिशत से कम दाम बढ़े हैं। प्रोटीन अधिकता वाले उत्पाद जैसे- दूध, अंडा, मीट, मछली इत्यादि पर मूल्य दुगुना से अधिक बढ़ा है। सबसे अधिक लोगों के मासिक बजट को सब्जियों के मूल्य में बढ़ोत्तरी ने प्रभावित किया है। क्रिसील के शोध के अनुसार जहां भारतीय सात वर्ष पूर्व 3 हजार रुपए सब्जी पर खर्च करते थे आज यह खर्च बढ़कर 5 हजार हो गया है।

महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के जीवन को बढ़ती महंगाई ने अभिशाप बना दिया है। आम लोग दो वक्त की रोटी जुटाने में कठिनाई महसूस कर हे हैं।

खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोत्तरी का सम्बन्ध सीधा तेल के मूल्य की बढ़ोत्तरी से भी जुड़ा है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में 20 बार से अधिक तेल के मूल्य बढ़ाएं हैं। यदि संप्रग और राजग सरकार के पेट्रोल पर किए गए मूल्य की तुलना करें तो पाते हैं कि जहां राजग अपने पूरे शासन के दौरान 48 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की वहीं संप्रग ने 120 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। संप्रग बार-बार मूल्य वृद्धि के कारणों को लेकर बाहरी कारकों की ओर इंगित करती है। भारत में पेट्रोल 68.8 रुपए प्रति लीटर (दिल्ली में) है वही अमरीका में 42.82 रुपए प्रति लीटर है। भारत का मूल्य उसके पड़ोसी देशों से भी अधिक है। पाकिस्तान में 41.81 रुपए प्रति लीटर है। श्रीलंका में 50.3 रुपए प्रति लीटर, बांग्लादेश में 44.80 रुपए प्रति लीटर और नेपाल में 63.24 रुपए प्रति लीटर है।

तेल के मूल्य वृद्धि के अलावा दूसरे कारण महंगाई में बढ़ोत्तरी के हैं: भ्रष्टाचार, घोटाला, कुशासन, सरकार के निर्णय लेने की अक्षमता, घाटे के बजट, खाद्य पदार्थों का अच्छी तरीके से भण्डारण और वितरण नहीं किया जाना, कालाबाजारी, टैक्स में बढ़ोत्तरी इत्यादि।

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरमसीमा पर है। संप्रग द्वारा की जा रही घोटालों का एक विचित्र लक्षण है। प्रत्येक घोटाला अपना आकार और निर्लज्जता में पिछले घोटाले को पीछे छोड़ देता है। अभी हाल का कोयला घोटाला जो कि 1.86 लाख करोड़ का है, पिछला घोटाला 2जी 1.74 लाख करोड़ का था, से अधिक है। ये घोटाले घाटे के बजट को बढ़ाते हैं। सरकार घाटे के बजट को पूरा करने के लिए रुपया अधिक छापती है। रुपए में तो बढ़ोत्तरी हो जाती है लेकिन उत्पादों और सेवाएं उस मात्रा में नहीं बढ़ती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

पिछले साल सरकार ने गेहूं और चावल के अधिक उत्पादन का काफी प्रचार-प्रसार किया। और इसका श्रेय लेने की कोशिश की। इसके बावजूद आज गरीब भूख के शिकार हो रहे हैं। यह साफ संकेत देता है कि अनाजों का भण्डारण और वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है। अनाज भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उचित भण्डारण की सुविधा नहीं होने से सड़ रहे हैं। कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार कह रही है कि महंगाई और आर्थिक संकट के पीछे बाहरी कारक है।

अन्तर्राष्ट्रीय कारण से महंगाई बढ़ रही है। वास्तविक कारण तो संप्रग द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, कुशासन है। इनके भ्रष्टाचार और कुशासन से आम जनता पहली बार इस तरह से पीड़ित हो रही है, जो पहले शायद ही कभी पीड़ित हुई थी। ■

भारतीय जनता पार्टी, गोवंश विकास प्रकोष्ठ का 'राष्ट्रीय प्रवेश प्रशिक्षण वर्ग' सम्पन्न

गोवंश का विकास भाजपा की प्रतिबद्धता

Hkkरतीय जनता पार्टी गोवंश विकास प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय प्रवेश प्रशिक्षण वर्ग 'दिनांक 4, 5 व 6 अगस्त 2012 को वात्सल्यग्राम, वृंदावन जनपद मथुरा में सम्पन्न हुआ। इस वर्ग का उद्घाटन गोपूजन व द्वीप प्रज्जवलन कर मुख्य अतिथि श्री जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा एंव पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतम्भरा जी द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हृदयनाथ सिंह, गोवंश प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संगठक, श्री आलोक कुमार, राष्ट्रीय संयोजक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, श्री रामप्यारे पाण्डे, राष्ट्रीय सहसंयोजक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, श्री ओम प्रकाश जी, अखिल भारतीय गोरक्षा प्रमुख उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि श्री जे.पी.नड्डा ने अपने सम्बोधन में भाजपा के इतिहास, विकास एवं योगदान के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। उन्होंने जनसंघ की स्थापना, उसका विस्तार,आपातकाल एवं जनता सरकार में जनसंघ के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि यदि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो जनसंघ के संघर्ष और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हैं जिसके लिये उन्होंने अपना बलिदान भी दिया।

पूज्य दीदी मां ने अपने आशीर्वचन में कहा कि वात्सल्य का भाव उन्हें गोमाता से मिला। माँ शब्द का प्रादुर्भाव गोमाता से ही हुआ हैं।

श्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव ने अपने सम्बोधन में बताया कि गाय भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। अनादिकाल से गो भारत की संस्कृति, एकता, धर्म और अर्थ की प्रतीक रही हैं।

प्रशिक्षण वर्ग की प्रस्तावना रखते हुए राष्ट्रीय संयोजक श्री राधेश्याम गुप्त ने गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए उन्होने बताया कि गाय से पूंजी का निर्माण होता है, समृद्धि बढ़ती है, तथा यह भारतीय कृषि के विकास का आधार है। इससे गोमूत्र प्राप्त होता है जो आरोग्यदायिनी है और आयुर्वेद का प्राण तत्व है। ग्रामीण उघोग धन्धों का आधार बताते हुये, इसे रोजगार परक, पर्यावरण परक एवं सम्पूर्ण ग्राम्य विकास का आधार है।

गोवंश प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संगठक श्री हृदयनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में भाजपा की विचारधारा के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा कि विश्व में पूंजीवाद व साम्यवाद का बोलबाला था। ऐसे समय में दीनदयाल जी ने एकात्ममानववाद दर्शन देकर भाजपा को राष्ट्रवाद का मंत्र दिया। यह विचार ही भाजपा की शक्ति है। श्री रामप्यारे पाण्डे, राष्ट्रीय सहसंयोजक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने कुशल नेतृत्व के सम्बन्ध में दीनदयाल जी के जीवन, जनसंघ में योगदान, एकात्ममानववाद दर्शन के बारे में विस्तार से बताया।

गो संर्वधन बोर्ड मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पदम वरैदा जी तथा गुजरात गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री बल्लभ भाई कठिरिया तथा पंजाब गोसेवा आयोग अध्यक्ष श्री कीमती भगत ने अपने अपने प्रदेशों में गो विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एंव संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। डॉ. राजेश दुबे, महासचिव प्रकृति भारती द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में बताया गया। श्री ओम प्रकाश जी, अखिल भारतीय गोरक्षा प्रमुख ने गोरक्षा हेतु व्यावहारिक उपाय बताते हुये गोबर-गोमूत्र के उद्योगीकरण पर बल दिया।

श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि एवं पशुपालन मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने प्रदेश में किये जा रहे कार्यों के बारे चर्चा करते हुए कामधेनु विश्वविधालय की स्थापना एवं जैविक कृषि क्यों और कैसे के सम्बन्ध में प्रकाश डाला।

समारोप भाषण में श्री महेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रीय समन्वयक मोर्चा/प्रकोष्ठ ने बताया कि अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसका एक मात्र समाधान गोपालन को बढ़ावा देना, गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करना तथा देश की अर्थ व कृषि नीति में गाय एवं गोवंश के विकास को शामिल करना ही है।

प्रकोष्ठ की इसमें अहम भूमिका है। जैविक कृषि एवं जैविक खादों का अधिकतम प्रयोग हेतु जनांदोलन खडा करना पड़ेगा। ■